

जिला पंचायत पांदसौर/राजगढ़ (मप्र.)

ଶ୍ରୀ କମଳାଚାର୍ଯ୍ୟ

स्थाननिरण श्रीमती दीपती तेवर विशेषज्ञानी रुचि ३ प्रथमिक विद्यालय आगमी कोड गड्ढ

आपेक्षित विद्युत की विस्तृत विवरण नहीं है।

• 1124 •

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ପ୍ରାଚୀ ମହିନେ

(५) अनुसंधी-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पदोन्ति होता है।

(2) सीधी भातों तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को प्रतिशतता, अनुग्रहीत भूमि के

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n - 1) = \infty$, which is a contradiction.

द्वैती

(4) शिशा कीनदा को सोधे धन्तों के पद पश्चप्रदेश लोक मिना (उन्मुखत जाति).

के उपर्योग के अनुसार अनुसंधित जातियों, अनुसंधित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित

અનુભૂતિ

उ चर्चों ते संबंधित अध्ययनों के लिये पद आवश्यक रखे जायेंगे :

परन्तु शिक्षाकर्मियों की भाँति के लिए विज्ञापन सूचना को प्रीति जिला विज्ञार कार्यालय, जल्दी

अस्थायिकों से अलग होने पर इन लिये अवधारों के लिए अस्थायिकों द्वारा पर्याप्त

卷之三

(एक) ऑपिक संस्कार में वृत्ति में प्रवर्चिता दैनिक समाजार "यशों" में से कम से कम

किस एक समाचार पर व विश्वासेत किय जाय।

१७ अप्रिल तक आवास या घर के मध्य इनकी प्रतीक्षा

प्रदर्शन लिये जाने।

ज्ञानियों द्वारा प्राप्ति की गयी अधिकारी की प्रवाहिता भाष्यों पर के लिये

अहं परमात्मा मैं जीव किंतु नन्हे अको कि आधा पर तथा कि गुरुता, प्रसन्न कि प्रसादः ॥

प्रता सूची के अनुसार परीक्षा या/तथा माध्याकरण के लिये बुलाया जाएगा। ऐसे अध्यादेशों के

करने से कम एक राजा तथा ४ नेत्र दुर्लभ होते हैं।

मुख्या क्र.एक २०-७५-बाईसनं-२, दिल्ली ७ जुलाई, १९४८ बारा अद्यापति/प्रतिस्थापित।

परमानन्द आणि लग्न के अस्त्रों को विसर्जन
 (६) चरण समीपत यथार्थत जिता प्रश्नत
 विशेष गते, अनुज्ञा सरात्मो तो गवित ओ जावेंनी सामयिक दृष्टी
 द्वारा राण ऐक्षणिक सवे क्राप्त देवे के अस्त्र

मिलने वाले हैं जो अपनी से अधिक या

(१०) चरण मुंडो से नियुक्ति, प्रभागदेश लोक सेवा (अनुसंधान और अधिनियमों और अन्य नियन्त्रण वाले के लिये आवश्यक) अधिनियम, १९७४ (कल्याण २१ सन् १९७३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनियोग दिये गये तथा व्याख्यानिति, जिसा पचासत तथा एनपट व्याख्यान में उल्लेख होता है।

(७) (एक) यह समिति सक्षालन के लिये गुलाम गो अभ्यायों का आकर्तन करेगी तथा (बच) नियम अहंता पाण्डु के लिए वरिष्ठा (द्विदेश) देने साथ अप्राप्ति से जैविक व

(४५) यह अद्वितीय से अधिकार अक्षर के लिए 70 मिनट अंत अन्यायप्रद अवधिकार के अधिकारों को बोला दिए। मैलाइक लिखत पाठ्य में अधिकार अवधि का उल्लंघन कर दी जाएगी।

10 भारतीय अंक एवं यू. दो बाग तथा दो दर्जे कर्त्ता और उससे आधिक के अनुभव के लिए विभिन्न 3 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंक जिसमें दोनों तरफ आठ मास लिपि दर्शायेंगी।

प्राचीन विद्युत विभाग के अधीक्षक डॉ रमेश कुमार ने इस बात को लेकर कहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है कि जब भारतीय विद्युत विभाग की ओर से विद्युत विभाग का अनुभव भी सामने आया है। एजेंसी द्वारा यह आठ प्रतिशत संस्थानों तक प्रदान की गयी विधि के अनुभव के लिए इसी मुकाबले का लाभ दिया जाएगा। भारतीय संस्थानों में विद्युत के अनुभव के लिए इसी मुकाबले

(४) विषयालयों तथा प्रत्यक्षकर्ता पर सामान्य भवान समिति का विविध घटन और उप होता।
(५) उत्तरायणी भाषा में भवतचोरी करने की दृष्टि।

(८) व्यनियोग पालवसा को जानकारी,
जोने समाचार जैसा,
(चार) प्रशिक्षण तथा शिक्षण के लिए अधिकारी,

(प्रध) कानून अन्य परीक्षण जिसे चयन मिले उपेत समझे।
सीएड. नीटों अंडे / डीएड. प्रायग्राम के लिए ४ शिरोता अंडे, स्टॉलट और नाइट्स/उच्च एवं नीति प्रायग्रामों में ३० लेटे हुए लिए गए अंडे और छोटे के लिए (अंतर लिता या

मृतिम् चक्षा मे, अन्य चाहे समाज होने की दशा में प्राणीकरा उन अमरण्डियों को ही जरोगो, जिने अनाधि पञ्चाशत् या जिला पञ्चाशत् के विद्यालयों में शिक्षण का अनुप्रय

(८) प्रत्येक व्यक्ति के लिए चयन मुख्य है, योग्यता के असर पर एवं उसके असर से नाम या २० प्रतिशत नाम, इनमें से जो से अधिक है, प्रत्येक जो कि नीचे पास के लिए विधिगत होगा। नियुक्ति के लिए किंवदं की संज्ञाएँ के बारबर चयन सदृश रूप लिया भी जायगा तथा उसके लिए विधिगत होगा।

तदसे लेप होया और अच्युत साह अबोहे प्रान पर मरियप सामाजिक चरण (अनारक्षित स्वरग) माझ्या तरं गोने। याद मानव स्वरग को दूसी बोयात के आधर पर अरीहत दर्शन के पद किंवदं नवी प्राण जावा।

प्रयोग के अधिकारी के नाम ऐसे प्रवासी में से प्रत्येक प्रवास को जल्द रिहैनों की सच्चा विधि द्वारा दुखी को ओरिगिनल अधिकारी के 5 नाम या 20 ग्रहीताना नाम, इनमें से जो ले रहे हैं 20-25 अप्रवासी।

समस्त नियम, इन नियमों के अद्वितीय आने वाले विषयों के फल सबसे मैं लालदारी नियम है। जो १३ नियमों के तत्त्वानों उपर्युक्त के अधीन दिया गया आदेश या कोई आदेश या को प्राप्त करने वाले हैं वे

(5)

(69)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462003

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28-6-07

क्रमांक एफ 1-4/07/बीस-1 : राज्य शासन हारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की पंचायत 'राज' एवं नगरीय निकाय को अंतरित शालाओं में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक, शिक्षकर्मी एवं गुरुजी आदि के भेदों को समाप्त कर उनके नियमितिकरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए श्री डॉ पी० पी० दुबे (सेवानिवृत्त आई०ए०ए०) की अध्यक्षता में एकल समिति का गठन म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/3095 / 4473/05/ 1/3 भोपाल, दिनांक 19.12.2005 हारा किया गया था।

2. श्री डॉ. पी. दुबे समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपस्त राज्य शासन हारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं:-

2.1 पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षकर्मी संदर्भ स्थान पर उनके स्थान पर अध्यापक संवर्ग का गठन किया जाए।

2.2 अध्यापक संवर्ग में सम्मिलित पद एवं उनके वेतनमान निम्नानुसार होंगे-

1. वरिष्ठ अध्यापक
2. अध्यापक
3. सहायक अध्यापक

रु. 5000-175-8500

रु. 4000-125-6500

रु. 3000-100-5000

2.3 अध्यापक संवर्ग का गठन दिनांक 01.04.2007 से किया जाए।

24 शिक्षाकर्मी

- (क) राज्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1997 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1996 के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 का अध्यापक संघर्ग के सुसंगत पद पर संविलियन किया जाए। शिक्षाकर्मी वर्ग-1 को वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग-2 को अध्यापक व शिक्षाकर्मी वर्ग-3 को सहायक अध्यापक के पद व वेतनमान में संविलियन किया जाए। अध्यापक संघर्ग में संविलियन करते समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। संविलियन करते समय आरक्षित संघर्ग के शिक्षाकर्मियों को जिलकी नियुक्ति अनारक्षित संघर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संघर्ग में एवं आरक्षित संघर्ग के अंतर्गत नियुक्त शिक्षाकर्मियों को आरक्षित संघर्ग के अंतर्गत अध्यापक संघर्ग के रोस्टर में रखा जाए। अध्यापक संघर्ग में संविलियन किए गए शिक्षाकर्मियों की आपसी वरिष्ठता वही होगी, जो शिक्षाकर्मी संघर्ग में थी।
- (ख) अध्यापक संघर्ग में वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी संघर्ग में पूर्ण किये गये प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्ण कालखण्ड के लिए अध्यापक संघर्ग ने एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। तीन वर्ष से कन कार्यकाल के लिए वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। निर्धारित लिए गए वेतन पर दिनांक 01.04.2007 से 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होगा। इस तिथि के बाद जद-जब नप्र रासन के कर्मचारियों की नंहगाई भत्ते में वृद्धि होनी तदनुसार अध्यापक संघर्ग को भी मंहगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्हें अध्यापक संघर्ग के नदे वेतनमान में पुराने वेतनमान की तुलना में कुल प्राप्त परिलिखियों (वेतन वृद्धि एवं उस पर देय 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ते सहित) का अंतर रु. 750/- से कम है तो उस शिक्षाकर्मी को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का अधिभार देकर वेतन निर्धारण किया जाए।

(7)

(7)

- (ग) ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्होंने एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण (बी.एड./डी.एड.) की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं की है उन्हें निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग में अगली वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जाएँ। ऐसे नामताओं में शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि करने पर छठी हुई वेतनवृद्धियाँ जारी की जाएँ किन्तु एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। ऐसे शिक्षाकर्मियों को स्वयं के व्यय पर शिक्षण-प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करना होगी, जिसके लिए उन्हें एक बार सर्वेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।
- (घ) शिक्षाकर्मियों का उपरोक्तानुसार अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक 01.04.2007 से किया जाएगा। इनके अध्यापन कार्यकाल की गणना दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में की जावेगी। संविलियन के उपरान्त उन्हें कंडिका 22 में उत्तराधिकार वेतनमान प्राप्त होगा।
- 2.5 संविदा शाला शिक्षक
- (क) संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरान्त अध्यापक संदर्भ में नियुक्ति हेतु उपचुक्ता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाए। संविदा शाला शिक्षकों वगे अध्यापक संवर्ग में नियुक्त नहीं किया जाए जब संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपूरक मापदण्डों पर संतोषजनक रहा हो, तथा उनके द्वारा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर ली गई हो। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। नियुक्ति करते समय आरक्षित संवर्ग के संविदा शाला शिक्षकों को, जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के रोस्टर में रखा जाए। छानबीन समिति एवं वस्तुपूरक मूल्यांकन नके नियंत्रण हेतु एक दूसरे अंदेश जारी किये जा रहे हैं।

(iv) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर नये संवर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

(v) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप रहा है परन्तु केवल निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी नये संवर्ग में नियुक्त नहीं हो पायी हो उनकी संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यव पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवलम्बन दिया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षकों प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में छानबीन समिति हारा विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति किया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षक जो दूसरी संविदा अवधि के उपरान्त भी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं या निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि की अवधि प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी संविदा नियुक्ति का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

(vi) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को सहायक अध्यापक के पद पर अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति किया जाए।

(vii) संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग के समान अनुग्रह राशि (Ex-gratia) दी जाए।

- (प) वर्ष 2001 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विशेष अनुभति धारिका क्रमांक-21473/2004 ५५ 4659/2005 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2005 हारा स्थगित है। अतः अध्यापक संघर्ष में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन हारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर उस निर्णय के अध्यधीन पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
- (छ) वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की संविदा नवीनीकरण के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में आई०८० दायर कर इस संबंध में ना० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश चाहे यथे है। अतः अध्यापक संघर्ष में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन हारा मान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
- (ज) संविदा शाला शिक्षक भर्ती की वर्तमान व्यवस्था निरंतर जारी रखी जाए। संविदाकाल के पूर्ण होने के उपरांत संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संघर्ष में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार करने हेतु गोटेत छानवान भागिति हारा निर्धारित जापदलों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उपरांत कोडिकाले अनुचाल अध्यापक संघर्ष के देतनान के चूपाले देतन पर नियुक्त किया जाए।

26

गुरुजी -

ऐसी ई.जी.एस. शालाएं जिन्हें प्राथमिक शाला में प्रौन्नत नहीं किया गया है एवं जिनके गुरुजियों को वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, ऐसे गुरुजियों को देय मानदेय में रु. 750/- प्रतिमाह की वृद्धि की जाए।

राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मियों के अध्यापक संघर्ग में संविलियन व वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा निम्नान्तर वैत्काल कर ली जाएः—

शिक्षाकर्मी श्रेणी	प्राधिकारी जिसके द्वारा संविलियन के आदेश जारी किए जाएँगे व वेतन निर्धारण किया जाएगा
शिक्षाकर्मी वर्ग-१ एवं शिक्षाकर्मी वर्ग-२ का क्रमशः वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के पदों पर संविलियन	संबंधित जिला पंचायत अथवा नगरीय निकाय
शिक्षाकर्मी वर्ग-३ का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय

राज्य शासन के संबंधित दिनांकों द्वारा अल्पालंक संदर्भ के मुद्दे रहे हैं इन दिनांकों को दनाने की कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(के. सी. पत्र)

अवर सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक २४-६-०७

पृष्ठमांक :

प्रतिलिपि:-

- सचिव, मुख्य मंत्रीजी, म०प्र० शासन।
- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, म०प्र० शासन।
- निज सहायक, मान, स्कूल शिक्षा मंत्री, म०प्र० शासन।
- निज सहायक, मान, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, म०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, साकान्त्र प्रशासन दिनांक, म०प्र० शासन।

7. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मोप्र० शासन ।
8. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मोप्र० शासन ।
9. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मोप्र० शासन ।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मोप्र० ।
11. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, मोप्र० ।
12. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, मोप्र० ।
13. आयुक्त, जनसंघर्क विभाग ।
14. समस्त, कलेक्टर,
15. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
16. समस्त, आयुक्त, नगर निगम,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
19. समस्त राहायक आयुक्त / ज़िला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
20. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत,
21. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राज्य सिलसा ट्रिनिंग

मुख्य प्राप्ति मास्टर जनरल डाक
परिमेंटल के पत्र क्रमांक 22/753,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुग्यान
योजनार्थी डाक व्यवहार की पूर्व अनुमति
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.

संजो. ब्रह्मांक भोपाल डिलीवर
प. प्र. - 103- भोपाल-06-03.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2008—भाद्र 20, शक 1930

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-प. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) को धारा 70 की उपधारा (2) के साथ यहि धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संज्ञ सरकार एतद्वारा, निम्नलिखित नियम दनती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार “मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक 13 अगस्त, 2008 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्—

नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है।
(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभावाएँ—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अदेखित न. हो—
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994);
 - अध्यापक के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 - “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - “अहंता” से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग को अहंताएँ;
 - “पंचायत” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित की गयी वथास्थिति, कोई जिला पंचायत या जनपट पंचायत;
 - “अध्यापक संलग्न” से अभिप्रेत है, जिला पंचायत या जनपट पंचायत द्वारा उन्हें नियोजित प्राधिकारी वृक्षों में अध्यापक के लिए नियोजित/संविलयन किया गया व्यक्ति;

(5)

(3)

(2)

1312

मध्यप्रदेश राजभवन, दिनांक 11 दिसंबर 2008

- (अ) "शिक्षाकर्मी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कल्पकालीन शिक्षकों (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1997 के अधारस्थिति, जिला पंचायत या जनपद प्रशासन के अधीन द्वारा उनके लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (ब) "संविदा शाला/शिक्षक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कल्पकालीन शिक्षकों (नियोजित एवं संविदा की नियम, 2005 के अधीन यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन स्कूलों में वे के लिये नियोजित/नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई दोषी, मूलवंशी या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनसमुदाय का भाग या उसमें का बूथ, जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संवर्धन में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संरोधित अधिसूचना क्रमांक 8-5-चौंस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संतुलन अनुसूची, और
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन समस्त स्कूलों के नियोजित/संविलयन किए गए प्रत्येक अध्यापक संबंध को लागू होंगे।

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान.—अध्यापक संबंध का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसे होंगे जैसा कि इन नियमों से उस अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए, सेवा में सम्मिलित पदों को संख्या इस नियमित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के स्विकाय, परिच नहीं की जाएगी।

5. चयन तथा नियुक्ति का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संबंध में भर्ती नियन्त्रित तरीके के अनुकूलीन तरीका, अर्थात्—

- (1) मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 1997 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मी के संविलयन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-1 का संविलयन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

- (दो) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-2 का संविलयन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

- (तीन) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-3 का संविलयन खहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

- (चार) अध्यापक संबंध में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1-4-2007 की दिनति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संबंध में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी के रूप में तीन वर्ष की नियंत्र सेवा करने वाले व्यक्ति वे अध्यापक संबंध में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आपात्काल वेतनवृद्धि दिनांक 1-4-08 से प्रभावी होगी।

- (2) संविदा शाला शिक्षक को नियन्त्रित शर्तों के अधीन अध्यापक संबंध के सुरक्षात् पद पर नियुक्त किया जाएगा।

- (क) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियन्त्रित भी कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संबंध में नियुक्त होना अवश्य इस विचार करने हेतु नियंत्र उन्नतवोग समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार याचे जाने पर, अध्यापक संबंध में नियुक्त किया जाएगा।

(3)

1112 (1)

(ख) क्रमसः संविदा गाला शिक्षक बैरो—1 को केवल अध्यापक, सौन्दर्य लगता रिक्त क्रेही—2 को अध्यापक तथा संविदा गाला शिक्षक बैरो—3 को सहायक अध्यापक के रूप में सहायक लकड़ी के बैठनमान के न्यूनतेज पर मियुक्ट किया जाएगा। आगामी बैठनबैद्धि के तारीख से एक बर्ष की सेवा के पास करने के युक्तिहार्यों

(ग) अध्यापक संबर्ग में ऐसे केवल गाला शिक्षकों द्वारा मियुक्ट किया जाएगा, जिहाने अनुसूची—दी के कोलंम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अईता अप्स कर ली हो।

(घ) अध्यापक संबर्ग में नियमित के लिए छानवोन समिति के नाम से एक समिति जो बैठन किया जाएगा, जिसमें नियमित व्यक्ति होंगे—

- | | |
|--|--------------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पर्वतार्थ | — अध्यक्ष |
| (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (संचायित्र) | — सदस्य |
| (3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक अनुकूल, आदिम जाति कल्याण | — सदस्य सचिव |
| (4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रबन्ध द्वा एक अधिकारी | — सदस्य |

(3) मियुक्ट/विवितयन करते राज्य गृहग्रामीण लोक जैन (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आकर्षण) अधिकारीम्, 1994 (क्रमांक 23; सं. 1994) के उपर्युक्त तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अप्रभूचना जामांक एफ 6 । 2002 आगे-एक दिनांक 19-9-2002 होगा जाए किए गए अनुदेशों को अनुपालन किया जाएगा और समय-समय या जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी।

6. पदोन्नति—अनुसूची—धारा में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसूचित विभागीय पदोन्नति कोषमत्ते के माध्यम से पदोन्नति पर मियुक्ट को जाएगा; बैठन निधारण इस नियमित बनाए गए पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. अपील—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिनियम में वथा डल्ट्सिंहित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा।

8. अन्य शर्त—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकों या अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का विरहन करेगा। अध्यापक संबर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियानुसार होगे—

अनुक्रमांक	अध्यापक संबर्ग	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ट प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग,	जिला कलक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ट प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग,	जिला कलक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ट प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग,	जिला कलक्टर

टिप्पणी—कलक्टर (3) में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

3

1

4

1112 (2)

मध्यस्त्रेच गजपति दिवांक 11 सितम्बर 2009

(८) इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलेशन किया गया डोई चक्रिय स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों वे अवकाश का हुक्मदार होंगे।

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यव्रद्दश पक्षायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 द्वारा शामिल

(ध) अन्यान्य संघर्ष में कार्यरत लोकों की अधिकारिकों की आम 62 वटी होगी।

(ड) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के लिए वहाँ रहते होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस नियम अपनी जाए।

(न) इन नियमों के अद्वीन नियोजित नियमी लक्षित को मूँह गाई भला तथा अन्य भले अध्यापक संघर्ष के लिए राज्य सरकर सम्म-सम्म पर अधिसचित किए गए अनुसार देय होंगे।

७. राज्य सरकार की शक्ति।—इन किसी के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा अदेश जारी करके किया जाएगा।

10. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जिस पर उसका विनिश्चय आतिप होगा।

१३. निवास क्षेत्र रक्षणात्मक — ग्रामपालिका, निवास क्षेत्रों (जनी एवं देवी के नाम) दिल्ली, १९७७ एवं इसका विवरण दिल्ली के नाम

परन्तु इस प्रकार निररोत नियमों के अधीन लिया पाया कोई आदेश या दो गये कोई कार्रवाई के संबंध में वह समझ दिया जाना चाहिए कि नियमों के तत्परता उपर्युक्तों के अधीन लिया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है।

अनसची—एक

(नियम-2(ख) तथा नियम-4)

अद्यापक संवर्गी का वर्णीकरण तथा वेतनमान

अनुद्देश्यांक (1)	अध्यापक संबंधी का वर्गीकरण (2)	देतनमान (3)	नियुक्ति प्राप्तिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000—175—8500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	अध्यापक	1000—125—6500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

अनसची—दो

३४

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अहताएं

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अहंता (3)	अध्युक्तियाँ (4)
१.	वरिष्ठ अध्यापक	संचयिता विषय में द्वितीय क्लेशी में स्नातकोत्तर, उपाधि या समकक्ष एवं डी.एड./वी. एड. (विशेष प्रिस्त्री).	संस्कृत पाठशाला के वारोष अध्यापक (हस्टक्ट) व्यूनतम अहंता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में ग्राम संस्थान/विश्वविद्यालय में द्वितीय क्लेशी में

(16)

(54)

(5)

(3)

(1) (2)

(3)

(4)

2. अध्यापक

संदर्भित विषय, गो. डिलीप शेण्टे ने स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.

3. सहायक अध्यापक

उच्चतर माध्यादिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या स्नातक क्षेत्र एवं की.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.

संस्कृत भाषाशास्त्र के अध्यात्म (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत लाइट्स/व्याकरण आदि में ज्ञानता प्राप्त करने वाली विश्वविद्यालय से हितीय त्रैमाण में रास्ती उपाधि होगी।

(1) संस्कृत भाषाशास्त्र के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत लाइट्स/व्याकरण आदि में ज्ञानता प्राप्त संस्कृत बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यम न्यूनतम अर्हता होगी।

(2) सहायक अध्यापक (संगीत/तथा गीतार्थ) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र में न्यूनतम अर्हता होगी।

(3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के उच्चतर माध्यादिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी भी ज्ञानता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी।

- टिप्पणी—**
- अध्यापक संघर्ष के पद मध्यप्रदेश भवानीत शिक्षाकर्मी (भर्तो एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1997 अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकपिंडों के संवितयन से भरे जाएंगे।
 - मध्यप्रदेश पंचायत संविदा गाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा को शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त किये गये संविदा गाला शिक्षक जीन वर्ष की संविदा कालान्वय पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संघर्ष में नियुक्त किए जाएंगे।
 - अध्यापक संघर्ष में कोई सीधी भर्तो नहीं की जाएगी।

अनुसूची—तीन

[नियम-5 एवं 6 देखिए]

अध्यापक संघर्ष के पदों का विवरण

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संघर्ष (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या को प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

- टिप्पणी—** अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्तो द्वारा नहीं भरे जाएंगे। इन नियमों के प्रतंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संघर्ष के अधीन उपलब्ध पद को कुल संख्या में से—

- 50 प्रतिशत पद संविदा गाला शिक्षक के ब्रेणी (ग्रेड)-1 तथा ब्रेणी (ग्रेड)-2 को सीधी भर्ती द्वारा भर्तो किए जाएंगे।
- शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(5) (6)

112(4)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11, सितम्बर 2008

अनुसूची—चार
[नियम-2(भ) तथा नियम 6]
अध्यापक संबंध की पदोन्नति
अनुसूची—चार
[नियम-2(भ) तथा नियम 6]
अध्यापक संबंध की पदोन्नति
जाना है की जाना है

(1) (2) (3)

1 अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक

2 रहायक
अध्यापक

पदोन्नति के लिए अंहेतों
तथा अनुभव

(4)

(5)

विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत—अध्यक्ष.

2. जिला शिक्षा अधिकारी या साहायक आर
आदिम जाति/जिला संघोजक, आदिम :
कल्याण विभाग—सदस्य.

3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक जार
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा
निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्य
विद्यालय—सदस्य.

4. अनुसूचित जाति अध्यका अनुसूचित जन
से एक अधिकारी—सदस्य.

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत—अध्यक्ष.

2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आर
आदिम जाति/जिला संघोजक, आदिम :
कल्याण विभाग—सदस्य.

3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आर
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नाम—
प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्य
विद्यालय—सदस्य.

4. अनुसूचित जाति अध्यका अनुसूचित जन
से एक अधिकारी—सदस्य.

टिप्पणी— 1. अध्यापक संबंध में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के पश्चात् शिक्षकर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा को र
केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति/वरिष्ठता के प्रयोगमें हेतु की जाएगी।

अनुसूची—पांच

अध्यापक संबंध के पदों को संख्या का विवरण

1. जितनी संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संविलयन अध्यापक संबंध के मुसंगत पद पर हिया जाएगा, उन्होंने ही संख्या में
अध्यापक संबंध में सृजित किए गए समझे जाएंगे।

2. जितनी संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति अध्यापक संबंध मुसंगत उन पर की जाएंगी, उन्होंने ही संख्या में
अध्यापक संबंध में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उन्हींने संख्या में संविदा शाला शिक्षक संबंध से पद सकात किए गए समझे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के सञ्चालन के नाम से तथा आदेशानुसार,
लमिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपर्युक्त

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. राफ-1-3-2008-बाइस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के छण्ड (3) के अनुसार है, इस विभाग
अधिसूचना अध्यापक एफ-1-3-बाइस-पं.-2-08, दिनांक 11 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राप्तिकार से एकदृष्टा प्रदत्त।

मध्यप्रदेश के भव्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार:

नगरीय प्रशासन विभाग
भोपाल, केन्द्रीय ब्रम्हलक 22/153,
दर्शक 10-१-०६ धारा वर्तु भूमिका
व्यवस्था विभाग डिपार्टमेंट पूर्व अदायक
डाक धारा भेजे जाने का लिए आमंत्रण।

चौजी, ब्रह्मलक भोपाल हिंदौर
म. ब्र-१०३-भोपाल-०६-०६

मध्यप्रदेश राजामंड़ि

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2008—भाद्र २६, शक १९५०

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. ३९-१६९२-०८-अठारह-३.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ५८ की उम्मीदा (२) के साथ पठित धारा ४३३ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (ब्रम्हलक ३७ सन् १९६१) की धारा ९५ के साथ पठित धारा ३५५ द्वारा ब्रह्मलक शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए, राष्ट्र सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

१. संक्षेप चाल संघ प्रारंभ.—(१) इन नियमों का संक्षेप नाम मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संघ (नियमन एवं सेवा की शर्त) नियम, २००८ है।

(२) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होते हैं।

२. परिभ्रष्णार्.—इन नियमों में, चाव तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (ब्रम्हलक ३७ सन् १९६१);

(ख) "अध्यापक संघ" के संबंध में "मिशनरी ग्रामिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिका नियम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५८ के अधीन तथा नगरपालिका तथा नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ९५ के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार।

- (म) "अहंता" से अभिप्रेत है, अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संबंध की अहंताएँ;
- (झ) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित किया गया और नगरपालिका नियम या व्यवस्था नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित की गई कोई नगरपालिका या नगर पंचायत;
- (झ) "अध्यापक संबंध" से अभिप्रेत है, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिये नियोजित/संचालन किया गया व्यक्ति;
- (झ) "शिक्षकम्" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षकम् (भरी सेवा सेवा की शर्त) नियम, 1998 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा अध्यापन के लिए नियुक्त होने की शर्त कोई व्यक्ति;
- (ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्त) नियम, 2005 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा नियोजित नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, भूतवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत हैं; राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, वयस्साशोषित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-एच०स-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा व्याविनिर्दिष्ट नामिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. क्षित्पात तथा लगू होना.—ये नियम, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समरूप स्कूलों के लिए नियुक्त/संचालन किए गए इत्येक अध्यापक संबंध को लगू होंगे।

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान—अध्यापक संबंध का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो ये समिलित पदों को संलग्न इस नियमित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय परिवर्तित नहीं की जाएगी।

5. चङ्गन तथा नियुक्त क्रा. तरीका—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संबंध में भर्ती नियुक्ति/विनियुक्ति तरीके के अनुसार की जाएगी, अथवा—

(१) मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षकम् (भरी तथा सेवा की शर्त) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकमियों के संचालन द्वारा;

स्पष्टीकरण—(एक) शिक्षकम् श्रेणी (ब्रेड)—१ का संचालन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा,

(दो) शिक्षकम् श्रेणी (ब्रेड)—२ का संचालन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा,

(रोप) (शिक्षकीय प्रैंड) — 3 का संविलयन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान में किया जाएगा।

(चार) अध्यापक संबर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संबर्ग में उनके बैतन निर्धारण करते समय शिक्षकीय के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संबर्ग में एक वेतनबृद्धि का सार्व दिया जाएगा। आगामी वेतनबृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगी।

(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नतित्तित शर्तों के अधीन अध्यापक संबर्ग के सुरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(एक) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संबर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करते हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संबर्ग में नियुक्त किया जाएगा।

(दो) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (प्रैंड) — 1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (प्रैंड) — 2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (प्रैंड) — 3 को क्रमांक अध्यापक के रूप में, अध्यापक संबर्ग के बैतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा। आगामी वेतनबृद्धि वर्ती तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात होगी।

(तीन) अध्यापक संबर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची—दो के कॉलम (3) में, विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अवधारणा प्राप्त कर ली हो।

(चार) अध्यापक संबर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नतित्तित्ति व्यक्ति होंगे:—

(1) कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए)
आयुक्त, नगरपालिका निगम (नगरपालिका निगम के लिए) — अध्यक्ष

(2) (1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत
(2) जिला शिक्षा अधिकारी (नगरपालिका निगम के लिए) — सदस्य-सचिव

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए)/कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका निगम के लिए) — सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रबंग से एक अधिकारी — सदस्य

(5) नियुक्ति/संविलयन करते समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1-2002-आ.प्र.-एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपलब्ध किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी।

6. पदोन्तति.—पदोन्तति पर नियुक्ति अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागों पदोन्तति समिति के माध्यम से की जाएगी। बैतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए नगरीय निकाय के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. अपील.—इन नियमों के अधीन परित आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिनियम में यथाउल्लित्तित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपेल करेगा।

४. अन्य शर्तें—(ल) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, नगरीय निकाय के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक मियंत्रण के अधीन आपसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अध्यापक संघर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

अनुशासक अध्यापक संघर्ग (1)	अनुशासनात्मक प्राधिकारी (2)	अपीलीय प्राधिकारी (3)	(4)
1 विद्युत अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्त प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर	
2 अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्त प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर	
3 सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्त प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/विकासबुण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त/ विकासबुण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर	

टिप्पणी—कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त या संचिलयन किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान अवकाश का हकदार होगा।

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति, नगरीय निकाय नियमों द्वारा शासित होगा।

(द) अध्यापक संघर्ग में कार्यत व्यक्तियों की अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी।

(इ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्त होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, इस नियमित अधिसूचित की जाए।

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता देता अन्य भत्ता अध्यापक संघर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसार देय होंगे।

9. राज्य सरकार की विहित करने की शक्ति—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा कर्यकारी अदेश जारी करके किया जायेगा।

10. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रेशन उद्भूत होता है तो वह सरकार को विनिर्दिष्ट किया जावेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. निरसन और व्यावृत्ति—मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकार्य (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1993 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

22

60

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या कोई कार्रवाई है।

अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संबंधी का विवरण हाला लेहारा

अनुक्रमांक	अध्यापक संबंधी का वर्गीकरण	वेतनभान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशिष्ट अध्यापक	5000—175—8500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
2.	अध्यापक	4000—125—6500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
3.	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार

अनुसूची—दो

[नियम-2(ब)]

अध्यापक संबंधी के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अहताम्

अनुक्रमांक	अध्यापक संबंधी का वर्गीकरण	शैक्षणिक एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी अहताम्	
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोन्नर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा),	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अहता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी।
2.	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.टी.यी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अहता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी।
3.	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.यी./डी.एड./डी.एस.ई.	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अहता होगी। (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र न्यूनतम अहता होगी। (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए ३. मा. प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अहता होगी।

टिप्पणी— १. अध्यापक संबंधी के पद मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के सविलियन से भर जाएँगे।

6

23

1024 (4)

मध्यप्रदेश राजसभा, दिनांक 17 नवंबर 2008

2. मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला संशोधन के बीच वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संघर्ष में नियुक्त किए जाएंगे।
3. अध्यापक संघर्ष में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।

अनुसूची—तीन

(नियम-5 एवं 6 देखिए)

अध्यापक संघर्ष के पदों के बारे (विवरण)

अनुक्रमिक (1)	अध्यापक संघर्ष (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 अद्वितीय

टिप्पणी—अनुक्रमिक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संघर्ष के अंधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से:-

1. 50 प्रतिशत पद संविदा शाला सिंफक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 की सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे।
2. शेष 50 प्रतिशत पद वार्षिक अध्यापक तथा अध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

अनुसूची—चार

[नियम-2(घ) तथा नियम 6]

अध्यापक संघर्ष की पदोन्नति

अनु- क्रमिक (1)	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1.	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबोधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित एवं न्यूनतम सात वर्ष का अनुध्वनि।	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष।

1. अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबोधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित एवं न्यूनतम सात वर्ष का अनुध्वनि।	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष।
2. सहायक अध्यापक	अध्यापक	संबोधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संबंधी उपचारी/पत्रोपापि तथा भास्ति पद पर नृपतन सात वर्ष का अनुच्छव.	2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति जिला संघोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचारण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय —सदस्य. 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.			

टिप्पणी— 1. अध्यापक संघर्ग में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के सुरक्षात् शिक्षकर्त्ता के रूप में उनके हाथ की गई सेवा की घण्टा

केवल सदोल्लासिक्रामोन्नति, वरिष्ठता के प्रयोगन हेतु की जाएगी।

अनुसूची—प्राचारण

अध्यापक संघर्ग के पदों की संख्या का विवरण

- जिलों संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संविलयन अध्यापक संघर्ग के सुरक्षात् पद पर किया जाएगा, उन्होंनी ही संख्या में पद अध्यापक संघर्ग में सूचित किए गए समझे जाएंगे।
- जिलों संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संघर्ग के सुरक्षात् पद पर की जाएगी, उन्होंनी ही संख्या में पद अध्यापक संघर्ग में सूचित किए गए समझे जाएंगे एवं उन्होंनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संघर्ग से पद समाप्त किए गए

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 39-1692-08-अठारह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


रामद चन्द्रा, प्रमुख सचिव

Bhopal, the 17th September 2008

No. 39-1692-08-XVIII-3.—In exercise of the Power's conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the *Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008*.
- They shall come into force from the date of the publication in the "Madhya Pradesh Gazette".



25

28

7

पंजी क्रमांक भोपाल फिल्मेजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति
अनुमति-संख्या क्र. भोपाल-एप. पी.
वित्त-मु/04 भोपाल-2001.



मध्यप्रदेश सरकार

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 मार्च 2003—फाल्गुन 29, शक 1922

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ यहां धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एवढुरा नियमित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित नियमों को छुके हैं।

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्त एवं सेवा भर्ते) नियम, 2001 है।
- ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में नामे उत्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभासा—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज नियम, 1993 (क्रमांक 1);
 (ख) संविदा शाला शिक्षक के संबंध में “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अनुसार उके के नियम;
 (ग) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-दो में दिए गए अनुसार संविदा शाला शिक्षक को नियुक्त के नियम;

- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत;
- (च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ज) "संविदा शास्त्र शिक्षक" से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति; और
- (झ) "सामान्य प्रशासन समिति" से अभिप्रेत है यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति.

३. विस्तार तथा लागू होने—ये नियम जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये लागू किए जाना चाहिए।

४. वर्गीकरण तथा संविदा शास्त्र—संविदा शिक्षकों का वर्गीकरण और उनकी संविदा शास्त्र अनुसूची—एक में दिये गये अनुसार होगा।

५. चयन तथा भरती की पद्धति—(१) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा शिक्षकों के संघर्ष की घटती, जीधी भरती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी।

(२) जीधी भरती के लिये पात्रता की जरूरत—अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

(३) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपर्युक्त संविदा शास्त्र शिक्षक की सीधी भरती को लागू होगी।

(४) शासन के नियमों के अनुसार विविध जातियों, विकलाग व्यक्तियों, भूतपूर्व सेनिकों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों के लिये, जो पिछड़े वर्गों के हों, पद आरक्षित किये जायेंगे, साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपर्युक्त और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे।

(५) संविदा शास्त्र शिक्षक के पद—

- (एक) क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रचलित समाचार-पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार-पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे;
- (दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जाएंगे; और
- (तीन) संर्वधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जैसो भी कि दशा हो, के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(६) प्राप्त आवेदनों की छानबोन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्गों की अधिकारियों की प्रवालीर योग्यता सूची, पद के लिये चिह्नित की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(७) चयन समिति, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये गतिहास, से गठित की जायेगी। राज्य तथा नियुक्त का कार्य ग्रीष्माकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के

(8) (एक) समिति, अध्यर्थियों का आंकलन करेगी तथा निम्नलिखित रेति से अंक देगी :—

(क) विहित अंडता परीक्षा की वर्गीयता (वेटेज) देते समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट की तई अंडता परीक्षा में अधिकास अंकों के लिये 65 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। व्यावसायिक प्रदूषक्रम काले अध्यर्थी को वर्गीयता (वेटेज), संस्कृतिक विनिर्दिष्ट परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर दी जायेगी।

(ख) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में अध्यापन या किसी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुभव के लिये 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के अनुभव के लिये) क्रमसः तीन प्रतिशत, छः प्रतिशत और दस प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। न्यूनतम अंडता मास के हैशिणिक संत्र की मण्डना एक वर्ष के अनुभव के समय में की जायेगी, और उसमें शिक्षा ग्रामीण योजना कानूनी, डॉ. फौ. ई. पी., वैकल्पिक स्कूलों और औपचारिक विद्यालयों में अंत्याधीन का अनुभव भी समिलित है। पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन की साक्षरता कक्षाओं को पहाने वाले ऐसे शिक्षकों को, जो कभी से कभी विवर व्यक्तियों को पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के तहत साक्षर बनायेंगे, उन्हें 3 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जायेगा, साक्षर उन्हें माना जायेगा, जो पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के अधीन माणिक्यपट्ट के अनुसार भूत्याकरण वे प्रकार का लाभ दिया जायेगा। ग्रामीण स्कूलों में अध्यापन के अनुभव के भूत्याकरण सथा उसके लिये प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता पर सामान्य प्रशासन समिति का विवरण आतेम होगा।

(ग) ई. एड./टी. ई. आई./टी. एड. प्रमाण-पत्र के लिये 8 प्रतिशत अंक, स्काइट और गाहड़/एन. ई. ई. एड/एन. एड के लिये 2 प्रतिशत अंक और खेल के लिये (अंतर जिला या उच्च स्तर को प्रतिस्पृष्ठ वे भाग लेने के लिये) 2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

(घ) सक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

(ङ) अंक वरावर होने की दशा में, अंतिम चयन से प्राथमिकता उन अध्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्हें जनगढ़ पंचायत का जिला अनुभव है।

(दो) प्रत्येक प्रवर्ग के अध्यर्थियों के लिये चयन सूची, उनकी योग्यता के क्रम में उपरोक्त अंकलन के आधार पर तैयार की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, की प्रतीक्षा सूची होगी जो कि नी मास को कालावधि के लिये विधिमान्य होगी। एक एक्सीकूरेट चयन सूची भी इस क्रम में तैयार की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अध्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम अवरोही क्रम में सामान्य प्रवर्ग (अरारक्षित प्रवर्ग) में रिक्तियों की संख्या तक सीमित दर्शाए गए हों। यदि सामान्य प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर अरारक्षित वर्ग को कोई अध्यर्थी है तो उसको नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के किल्ड नहीं माना जायेगा, इसके प्रत्यात् अरारक्षित प्रवर्ग के अध्यर्थियों के नाम, ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक सीमित रूप में उनकी योग्यता के क्रम में दर्शाए जायेंगे। एकीकृत चयन सूची के अंतर्गत एक प्रतिशत सूची भी होगी, जिसमें अध्यर्थियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धान्त के आधार पर होंगे।

(9) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किए गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनगढ़ पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

6. अनुकूल्या नियुक्ति.—नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी, पंचायत, कलेक्टर की सिफारिशों पर, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों या नियंत्रणों के अधीन अनुकूल्या के आधार पर नियोजन के लिये यात्र किसी व्यक्ति को संविदा के पद पर नियुक्त कर सकेगी।

7. सेवा में नियुक्ति.—संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भरती के माध्यम से चयनित प्रत्येक व्यक्ति, प्रारंभ में किसी विविहित स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में, नियुक्त प्राधिकारी हांग संविदा शाला शिक्षक के कार्य का अंकलन किया जाएगा, तीन वर्ष के पश्चात् संविदा शिक्षकों को उनके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर एवं निर्धारित

विभागीय परीक्षा उत्तोरण करने के पश्चात् पंचायत के द्वारा पुनः आगमी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर उस संविदा शास्त्री से, जो वह उसी पर उसकी पूर्व की पदावधि के दौरान प्राप्त कर रहा था, 15 प्रतिशत अधिक संविदा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि संविदा शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जाएगी।

८. अनुसासन एवं नियंत्रण—संविदा शिक्षक, वथारित्यहि, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के प्रशासकों नियंत्रण के अधीन रहेंगे,
९. अधीन—इन नियमों के अधीन आदिन आदेशों को विहृत नहीं अन्वेषत, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

१०. अन्य शर्तें—

- (क) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, पंचायत के चुछड़ कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से दंडन्यत के प्रशासकों नियंत्रण में होगा।
- (ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार विकित्सीय सुविधाओं तथा धारा भत्ता का हकदार होगा।
- (ग) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ऐसे विविध नियंत्रण संबंधी फायदों का इकट्ठार होगा, जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जावे, संधारित वह किसी भी पेशन संबंधी फायदों का इकट्ठार नहीं होगा।
- (घ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति इस दौरान में 13 दिनों के आकात्मक अवधारणा विविध विविध अवकाश का हकदार होगा, किन्तु अन्य व्रकाल के अवकाश या दीर्घावकाश या हयादार नहीं होगा।
- (ङ) संविदा राशा शिक्षक तथा उसके यदि स्थानान्तरणीय नहीं हैं, इन नियमों द्वारा अधीन नियुक्त किसी दूषिक को यह भत्ता, गृहभाड़ा या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- (च) इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यावरण, पदावधि के अवसान के पूर्व, किसी भी और से एक माह की शून्यता या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि देकर किसी भी समय किया जा सकेगा।
- (छ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति दंडन्यतेन पंचायत सेवा (आवारण) नियम, 1998 द्वारा समित होगा, सेवा को लोड अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति के अदेश में विनिर्दिष्ट की जावे।
- (ज) प्रत्येक वर्षमें ही, विनियमों के अन्तर्गत नियुक्ति पर नियुक्ति द्वारा विनियम द्वारा में नियम द्वारा प्रदान में करने विषयादित करने की अपेक्षा की जाएगी।

११. ये नियम एवं प्रक्रिया आदिन जाति कल्याण विभाग द्वारा तंचालित स्कूलों में भी लागू होंगे।

१२. निर्धारन—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट हिस्सा द्वारा जिस

अनुसूची-एक [नियम २(छ) तथा ४ देखिए]

अनु.क्र.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	पदों की संख्या	संविदा राशि (समकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियम)	नियुक्ति प्रधिकरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	त्रेणी-१		रुपये 4,500	जिला पंचायत
२.	त्रेणी-२		रुपये 3,500	जनपद पंचायत
३.	त्रेणी-३		रुपये 2,500	जनपद पंचायत

टीप.- (१) संविदा शिक्षकों की विभिन्न श्रेणी के लिये पदों की संख्या का निर्धारण, यथास्थिति संबंधित विलास शिक्षा अधिकारी आवास का सहायक आमुज़, आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(२) सरकार केवल प्रस्तुति इसाब प्राप्त होने पर, समय-समय पर, संविदा शाला शिक्षक के बदले संख्या अनुमोदित करेगी।

अनुसूची-दो

[नियम २(ग) तथा नियम ५ देखिए]

अनु. क्र.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	नूनसम् आयु	अधिकारी आयु	शैक्षणिक अवहता	चयन समिति के सदस्य
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	श्रेणी-१	३० वर्ष	३० वर्ष	संबंधित विषय में ठिकायी श्रेणी में सातकोत्तर उपाधि वा समक्षी,	१. सभायति, विषय विशेषज्ञ, जिनमें प्रशासन समिति—अध्यक्ष, २. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विषय पंचकोन—सदस्य, ३. यथास्थिति, विषय विशेषज्ञ, जिनमें का सहायक आमुज़, आदिवासी विकास—सदस्य सचिव, ४. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट हो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य, ५. सामान्य प्रशासन समिति के साथ सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनशाति वा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनशाति वा अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसे सदस्य सामान्य जना से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे—सदस्य,
२.	श्रेणी-२	२१ वर्ष	३० वर्ष	संबंधित विषय में ठिकायी श्रेणी में सातकोत्तर उपाधि वा समक्षी,	१. सभायति, जनपद नियायालय वा सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष, २. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—सदस्य, ३. यथास्थिति, विकासउण्ड शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव, ४. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट हो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य, ५. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	त्रैणी-3	38 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रशासन-यवर परीक्षा उत्तीर्ण या लम्बवक्ष.	सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस्य सामान्य वर्ग से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे— सदस्य.	

उच्चतर माध्यमिक

प्रशासन-यवर
परीक्षा उत्तीर्ण
या लम्बवक्ष.

1. सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष.
2. मुख्य कार्यपालन औद्योगिक, जनपद पंचायत—सदस्य.
3. विकास खण्ड अधिकारी—सदस्य लाइसेन्स.
4. सामान्य उदायन लाइसेन्स या नामनिर्दिष्ट यो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी— सदस्य, और
5. सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसा सदस्य, सामान्य वर्ग से नामनिर्दिष्ट विद्या ज्ञान से सकेंगे— सदस्य.

- टिप्पी—** (1) “अनुसूचित जातियों”, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये उच्चतर आयु-सीमा में छूट, ग्राम समाज के नियमों के अनुसार होगी।
- (2) महिला अध्यर्थियों के लिये अन्य सभी छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट रहेगी।
- (3) जिन अध्यर्थियों ने संबंधित जनपद पंचायत अधिकार जिला पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में ५ से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है, उन्हें उच्चतर आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी।
- (4) औपचारिकतर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनकी आयु-सीमा में ४ वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

परिशिष्ट-एक

(निम्नम् 10 (ज) देखिए)

करते का धारण

यह कर्तव्य दिलाक ... माह
मं श्री

..... वर्ष की एक पक्ष के लिए (जो इसमें उसके पश्चात् 'कनवारी' कहलायेगा), तथा दूसरे पक्ष के रूप जिला/जनपद पंचायत के लिए और उसको ओर से जिला/जनपद पंचायत उन्हें कार्यपालन अधिकारी के बोच निष्पादित किया गया।

सुनें: जिस व्रतपद पंचवात् निम्नलिखित नियमों देखा गया था वाच निष्पादित किया गया।

अताएव पदकारों के बीच निवासितुल्य करार किया जाता है।

- (1) जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को नियमित करेगी तथा कर्मचारी तारीख लेप में जिला/जनपद पंचायत और सेवा करेगा;
 - (2) कर्मचारी तारीख से वर्षों की कालाबधि के लिए जिला/जनपद पंचायत में इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त किए गए अनुसार सेवा के पूर्ण पर्यवर्तन के अध्यधीन रहते हुए सेवा करेगा;
 - (3) कर्मचारी अपना संभूत समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारबाह या जीविका ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं बिगाएगा और जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यालय लिंगारी से वहाँ अनुज्ञा दीप्राप्त किए विना (हुर्घटना के सिवाय या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की जीवारों का प्रश्नण-पत्र दिये जाने के सिवाय) स्वयं को अनुपस्थित नहीं रखेगा;
 - (4) कर्मचारी को उसको पदस्थापना के स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा और उसे अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपना मुञ्जालंग रखना होगा;
 - (5) इस कारण का पर्यवर्तन, उसके जारी रहने के बायन किसी भी समय किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को उस आदाय की लिखित में कम से कम एक केलेंडर यात्रा को सूचना देकर किया जा सकेगा और जिला/जनपद पंचायत द्वारा आ उसकी ओर से दो गई ऐसी किसी सूचना के बारे में वह समझा जाएगा कि वह पर्याप्त सूचना है, यदि वह कर्मचारी को संबोधित तथा उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकूर्ट डाक से भेजा गई है;

परन्तु कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के भी सजाल की जा सकेगी और कर्मचारी को एक यात्रा के दौर से प्रतिक्रिया का भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यदि करार का पर्यवेक्षण किसी कमीचारी द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिए बिना संविदा कालावधि के अवक्षान के पूर्व किया जाता है तो वह एक मास के बेतन की दर से प्रतिकर का भुगतान जित्मा/जनपद पंजाब को करेगा;

- (6) किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूक्ष्म के सेवाओं से सम्पूर्ण को जा सकेगी यदि कर्मचारी व्यक्तिगत अवचार का दोषी पाया जाए या इस करार के निवेदनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर उसे सौंपे गये किन्होंने कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा का दोषी पाया जाए;

(7) कर्मचारी को अपने नियंत्रण को अवधि के दौरान अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के हृष में हृष्ये रखता किया जाएगा;

- (8) कर्मचारी को किसी भी पेशन की पात्रता नहीं होगी।
- (9) इस कठार के खण्ड (5) में अंतिविष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला/जनपद पंचायत के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह इस कठार के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सम्यक रूप से गठित सलाहकार विकित्या वोर्ड की रिपोर्ट से उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि उसकी सेवाओं को इस वित्तेख के अधीन अवसान कर दें कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बायर नहीं है और उसके द्वारा स्वास्थ्य की बजह से विचारार्थ कालावधि के लिए अधोव्य बने रहने की संभावना है और तदुपरि उसकी सेवाएं उसे पदह दिन की सूचना देकर समाप्त कर दी जाएगी इस प्रकार सेवा समर्पित की दशा में जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को संविदा की अवधिसित कालावधि के लिए किसी भी प्रतिकर का धुगातान करने के दायित्वाधीन नहीं होगी।
- (10) कर्तव्य के दौरान यात्रा करने के लिए कर्मचारी को ऐसी दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता जात करने की पात्रता होगी जैसा कि जिला/जनपद पंचायत द्वारा समव-समय पर घोषित किया जाए।
- (11) कर्मचारी को अपने नियोजन के दौरान इस नियित विहित किए गए अवकाश निवारों के अनुसार अवकाश अनुसार किया जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप नक्शकारों ने इसे विलेख की जात गिरफ्तारी लगायी। नाम वर्ष 2001 के लिए नियोजित फटके नियमितिवित को इस्तेवाने वाले द्वारा हस्ताक्षर किया गया। जिला पंचायत/जनपद पंचायत की गुरुत्वार्थी गई।

उपस्थिति में—

1. (1) हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जनपद पंचायत,
2. (2) कर्मचारी के हस्ताक्षर (नाम)

जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. अहलावत, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-बाईस-पं-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एलड्यूरा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. अहलावत, अपर सचिव,

Bhopal, the 20th March 2001

No. F-1-3-99-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 read with sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

RULES

- I. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Saavida Shala Shikshak (Appointment and conditions of services) Rules, 2001.

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

क्रमांक एफ-१-३/2013/22/पं-२
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- अध्यापक संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में।

— ० —

ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को वर्तमान में दिए जा रहे वेतनमान के स्थान पर निम्नानुसार वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन दिनांक 01.04.2013 से दिया जाता है:-

संक्र.	अध्यापक संवर्ग का पदनाम	वेतन-बैंड	संवर्ग वेतन
1	वरिष्ठ अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1900/-
2	अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1650/-
3	सहायक अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1250/-

2/ दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अध्यापक संवर्ग को नवीन वेतन बैंड में वेतन नियमन निम्नानुसार ज्ञात किया जाएगा:-

2.1 वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 162 गुणों वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

34

29

-2-

- 2.2 नवीन वेतन बैंड में वेतन की गणना किए जाने पर वेतन एवं सर्वें वेतन का 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

3/ वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:-

संक्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	5000	8100	8100	1900	7200	17200
2	5175	8384	8390	1900	7409	17699
3	5350	8667	8670	1900	7610	18180
4	5525	8951	8960	1900	7819	18679
5	5700	9234	9240	1900	8021	19161
6	5875	9518	9520	1900	8222	19642
7	6050	9801	9810	1900	8431	20141
8	6225	10085	10090	1900	8633	20623
9	6400	10368	10370	1900	8834	21104
10	5575	10652	10660	1900	9043	21603

2/5

-3-

4/ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:-

स.क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 पुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अंगले 10 रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलेखि
1	2	3	4	5	6	7
1	4000	6480	6480	1650	5854	13984
2	4125	6683	6690	1650	6005	14345
3	4250	6885	6890	1650	6149	14689
4	4375	7088	7090	1650	6293	15033
5	4500	7290	7290	1650	6437	15377
6	4625	7493	7500	1650	6588	15738
7	4750	7695	7700	1650	6732	16082
8	4875	7898	7900	1650	6876	16426
9	5000	8100	8100	1650	7020	16770
10	5125	8303	8310	1650	7171	17131

3 / 5

5/ सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी :-

सं. क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	3000	4860	4860	1250	4399	10509
2	3100	5022	5030	1250	4522	10802
3	3200	5184	5190	1250	4637	11077
4	3300	5346	5350	1250	4752	11352
5	3400	5508	5510	1250	4867	11627
6	3500	5670	5670	1250	4982	11902
7	3600	5832	5840	1250	5105	12195
8	3700	5994	6000	1250	5220	12470
9	3800	6156	6160	1250	5335	12745
10	3900	6318	6320	1250	5450	13020

6/ वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथि:- वेतन बैंड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3% प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 01.04.2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.10.2013 होगी।

नवीन वेतन बैंड में वेतन वृद्धि की गणना हेतु प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। दिनांक 01.04.2013 को वेतन निर्धारण 01.10.2013 होगी।

-5-

७/ क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारण:- क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का ३ प्रतिशत जोड़कर अगले १० रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

८/ प्रदोन्नति पर वेतन निर्धारण:- प्रदोन्नति की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का ३ प्रतिशत जोड़कर अगले १० रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई वित्त विभाग की सहमति टीप कमांक यूओ.क. ३४९/३६२/१३/ नियम/चार दिनांक १८.२.२०१३ के अनुशरण में जारी किया गया है।

(ब्रजेश कुमार)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांक एफ-१-३/२०१३/२२/प-२

भोपाल, दिनांक २। फरवरी २०१३

प्रतिलिपि:-

१. सचिव, भानु मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 २. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन
 ३. निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
 ४. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 ५. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिवासी विकास विभाग।
 ६. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग।
 ७. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 ८. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश।
 ९. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
 १०. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
 ११. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।
 १२. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Annexure P-7

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

दिनांक: 25/02/2016

आदेश

क्रमांक- एफ-1-31 / 2013 / 22 / प-2 समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2013 के अनुक्रम में
राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यापक संघर्ष को दिनांक 01.01.2016 से
निम्नानुसार छठवां वेतनमान संवृक्त किया जाएगा है।

अध्यापक संघर्ष	वेतन बैंड रूपये	बैंड-पे रूपये	महगाई भत्ता।
वरिष्ठ अध्यापक	रु. 9300-34800	रु. 3600	दिनांक 01.1.2016 से शासकीय कर्मचारी वीरे देय महगाई भत्ते के तुल्य एवं समय-समय पर वीरे जाने वाली वृद्धि सहित
अध्यापक	रु. 9300-34800	रु. 3200	
सहायक अध्यापक	रु. 5200-20200	रु. 2400	

2. छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। वेतनमान का नगद भुगतान 01.04.2016 (मई, 2016 में देय) से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 तक की उकाया शशि का भुगतान विलीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।
3. छठवे वेतनमान अंतर्गत वेतन नियंत्रण संबंधी विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से जारी किये जायेंगे।
4. यह आदेश विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक १५५/१६/विभाग दिनांक २५/२/१६ को विभाग अधिकारी द्वारा किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)

(उज्जेश मुमर्ह)

राजिव

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(39)

(40)

/ / 2 / /

पृष्ठांकन क्रमांकन एफ-1-31/2013/22/प-2
प्रतिलिपि-

दिनांक 15.02.2016

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समरत माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. निज सहायक/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, रकूल शिक्षा/वित्त/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मत्रालय, बस्त्तुभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकाङ्क्ष मध्यप्रदेश भोपाल/गदालियर।
7. आयुक्त, पंचायतराज/लोक शिक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. समरत संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समरत संपादीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समरत जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।


सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(40)

(94)

गोप्रदश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

52

आदेश

क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/प-2 राज्य शासन विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक संवर्गों को राज्य शासन के अधीन नियुक्त शिक्षक संवर्गों के समान उठवें वेतन आयोग द्वारा अनुशासित वेतनमान (आगे इसे छठवें वेतनमान कहा जायेगा) दिनांक 01.09.2017 से स्वीकृत करने तथा उक्त संवर्ग को विद्यमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं छठवें वेतनमान में प्राप्त होने वाले वेतन के अंतर की राशि को इस अंतरिम राहत के रूप में चार वार्षिक विस्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। अवधि की गणना का सिद्धांत रखा गया था। राज्य शासन के आदेश क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/प-2 दिनांक 25.02.2016 द्वारा अध्यापक संवर्गों को छठवें वेतनमान दिनांक 01.09.2017 के रथान पर दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किया गया।

2. उपर्युक्त आदेश के परिपलन में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं आदेश दिनांक 15.10.2016 द्वारा सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापकों के विद्यमान वेतनमान से छठवें वेतनमान में वेतन निधारण की क्रतिपय विसंगतियों की ओर अध्यापक संवर्ग द्वारा व्यान आकर्षित किया गया। परिणामस्वरूप आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया। समग्र द्वारा निरस्त किये जाते हैं तथा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत छठवें वेतनमान में वेतन निधारण हैं (निम्नानुसार सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है) :-

(अ) छठवे वेतनमान में वेतन निधारण को लिये सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पर पूर्ण की गई सेवा अवधि के आधार पर परिशिष्ट-2, तथा परिशिष्ट-3 में उल्लेखित अनुसार छठवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में उस सेवा अवधि (पूर्ण वर्ष) के सम्मुख दराये गये संबंधित प्रक्रम पर वेतन निधारित किया जायेगा।

(ब) छठवे वेतनमान में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन तथा ब्रेड वेतन के योग के तीन प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि रुपये 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित होगी।

(स) तत्स्थानी वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई को छठवे वेतनमान के ढांचे में 6 माह वेतन वृद्धि के लिये पहले होगी।

सामान्य रूप से 01 जुलाई होगी।
या अधिक अवधि पूरा करने वाले

/ / 2 / /

62

3. राज्य शासन के अधीन नियुक्ति शिक्षक संघर्गों के लिये पदोन्नति तथा क्रमोन्नति वेतनमान के लिये समय-समय पर जारी रेवा इर्ति, निर्देश, मापदंड अध्यापक संघर्गों पर भी तदनुसार प्रभावशील होगे। क्रमोन्नत वेतनमान में सप्रमूलभूत नियम तथा राज्य शासन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।
4. इस आदेश के अंतर्गत जारी निर्देशों में वेतन निर्धारण में यदि किसी प्रकरण में विभाग के परामर्श से किया जाये।
5. परिच्छ्रव के पैरा 2 (अ) से पृथक वेतन निर्धारण कर भुगतान किये गये प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर वेतन निर्धारण को गथा संशोधित किया जावे। अनियामित अथवा आहरण एवं सवितरण अधिकारी का होगा। वेतन निर्धारण की कार्यवाही तीन माह ने पूर्ण संधारित है।
6. वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किये जाने वाले स्वतंत्रों के भुगतान से पूर्व संबंधित से परिशिष्ट-‘चार’ पर उल्लेखित प्रपत्र में वचन पत्र प्राप्त किया जाये।
7. अध्यापक संघर्गों को छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प प्रारूप परिशिष्ट -‘पांच’ पर संलग्न है।
8. अध्यापक संघर्गों को छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। जुलाई 2017 का वेतन जो अगरता 2017 में भुगतान होगा, से नगद तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किरतों में क्रमशः चर्च 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किया जायेगा। एरियर्स की राशि तथा इसके भुगतान की प्रवृष्टि सेवा-पुरितका में की जाए।
9. इस आदेश के अंतर्गत जारी वेतनमान में किये गये वेतन निर्धारण का अनुग्रहित जिला पंचायतों में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी से कराया जाये।
10. यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1118/1382/2017/नियम/चार दिनांक 06.07.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26.28

(एस.आर.चौधरी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

/ / 3 / /

५१

पृष्ठांकन क्रमांक--एफ--1--31/2013/22/प-2

दिनांक ७ जनवरी, 2017

प्रतिलिपि-

1. भाननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. भाननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समरत भाननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/वित्त/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश भोपाल, गवाहियर।
7. आयुक्त, पंचायत/लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा/जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
8. सचालक, रथानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. समरत संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समरत केलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समरत रामागीय संयुक्त सचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समरत रामागीय संयुक्त सचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समरत जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समरत जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समरत कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

*20.01.17
०७.०१.१७*

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(43)

(57)

55

परिशिष्ट - 1

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

सहायक अध्यायक

संखारधि	विद्यमान वेतनमान ($4500-25000+1250$)	6वा वेतनमान ($5200-20200+2400$)				
		वेतन बैंड में विद्यमान	संवर्ग वेतन	योग वेतन	वेतन बैंड में विद्यमान	संवर्ग वेतन
प्रारम्भ						
1 वर्ष	4860	1250	6110	7440	2400	9840
2 वर्ष	5030	1250	6280	7630	2400	10030
3 वर्ष	5190	1250	6440	7820	2400	10220
4 वर्ष	5350	1250	6600	8000	2400	10400
5 वर्ष	5510	1250	6760	8190	2400	10590
6 वर्ष	5670	1250	6920	8370	2400	10770
7 वर्ष	5840	1250	7090	8560	2400	10960
8 वर्ष	6000	1250	7250	8750	2400	11150
9 वर्ष	6160 ✓	1250	7410	8930	2400	11330
10 वर्ष	6320	1250	7570	9120	2400	11520
11 वर्ष	6480	1250	7730	9300	2400	11700
12 वर्ष	6650	1250	7900	9490	2400	11890
13 वर्ष	6810	1250	8060	9680	2400	12080
14 वर्ष	6970	1250	8220	9860	2400	12260
	7130	1250	8380	10050	2400	12450

2528

उप सचिव

पश्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(प५)

(९८)

५८

परिशिष्ट - 2

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500-25000+1650)	6वें वेतनमान (9300-34800+3200)				
		वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संघर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संघर्ग वेतन
प्रारंभ	6480					
1 वर्ष	6690	1650	8130	9300	3200	12500
2 वर्ष	6890	1650	8340	9580	3200	12780
3 वर्ष	7090	1650	8540	9860	3200	13060
4 वर्ष	7290	1650	8740	10140	3200	13340
5 वर्ष	7500	1650	8940	10420	3200	13620
6 वर्ष	7700	1650	9150	10700	3200	13900
7 वर्ष	7900	1650	9350	10980	3200	14180
8 वर्ष	8100	1650	9550	11260	3200	14460
9 वर्ष	8310	1650	9750	11540	3200	14740
10 वर्ष	8510	1650	9960	11820	3200	15020
11 वर्ष	8710	1650	10160	12090	3200	15290
12 वर्ष	8910	1650	10360	12370	3200	15570
13 वर्ष	9120	1650	10560	12650	3200	15850
14 वर्ष	9320	1650	10770	12930	3200	16130
		1650	10970	13210	3200	16410

५४

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

45

99

३८

परिशिष्ट - ३

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

तरिष्ठ अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500-25000+1900)			6वा वेतनमान (9300-34800+3600)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारम्भ	8100	1900	10000	10230	3600	13830
1 वर्ष	8390	1900	10290	10560	3600	14160
2 वर्ष	8670	1900	10570	10890	3600	14490
3 वर्ष	8960	1900	10860	11210	3600	14810
4 वर्ष	9240	1900	11140	11540	3600	15140
5 वर्ष	9520	1900	11420	11860	3600	15460
6 वर्ष	9810	1900	11710	12190	3600	15790
7 वर्ष	10090	1900	11990	12510	3600	16110
8 वर्ष	10370	1900	12270	12840	3600	16440
9 वर्ष	10660	1900	12560	13160	3600	16760
10 वर्ष	10940	1900	12840	13490	3600	17090
11 वर्ष	11220	1900	13120	13820	3600	17420
12 वर्ष	11510	1900	13410	14140	3600	17740
13 वर्ष	11790	1900	13690	14470	3600	18070
14 वर्ष	12070	1900	13970	14790	3600	18390
15 वर्ष	12360	1900	14260	15120	3600	18720
16 वर्ष	12640	1900	14540	15440	3600	19040

२०२५

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राजसभा

पर्यायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मन्त्रालय भोपाल

~~69~~

// जीदेश //

पाल दिनांक ३३/४/२०१७

क्रमांक-एफ-१-३१/२०१३/२२/प-२ जिला/जनपद सर्वर्ग को विभाग के समस्तछायक आदेश दिनांक ०७.०७.२०१६ अनुशासित वेतनमान (आगे इसे छठवां वेतनमान कहा जाय) किया गया है। आदेश की कंडिका-२ (अ) ने ६वें वेतनमान में विभागीय वेतनमान में क्रमोन्नत / पदोन्नत वेतनमान में वेतन प्राप्त वर्ष में भी प्रभावी रहेगी। विद्यमान वेतनमान में रु० १६५० सवारूप रु० १०० सर्वर्ग वेतन प्राप्त अध्यापक के क्रमोन्नत सदर्भित आदेश के साथ सलग परिशिष्ट द्वा एवं तान रु० २१५० सर्वर्ग वेतन प्राप्त वरिष्ठ अध्यापक को ६वें वेतनमान / पदोन्नत वेतनमान १३००-३४८० + ५२०० में क्रमोन्नति / पदोन्नति वेतनमान में सहायक अध्यापक, उद्यमिता विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नत / पदोन्नत सहायक अध्यापक अध्यापक के लिए वेतन तालिका रु० १५५० परिशिष्ट द्वा एवं तान २.

विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नत / पदोन्नत सहायक अध्यापक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों का संदर्भित आदेश दिनांक ०७.०७.२०१७ की कंडिका-२ (अ) विद्यमान वेतनमान अनुगत अकित सेवा अवधि के सम्बन्ध प्रक्रम द्वारा किया जायेगा।

३. संदर्भित आदेश दिनांक ०७.०७.२०१७ की कंडिका-२ (अ) विद्यमान वेतनमान में जारी किये गये विभिन्न विभागों की गई पदोन्नतियां / क्रमोन्नतियां पर छापवशील होंगी।

४. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यूआर नियम / वार दिनांक ११.०३.२०१७ द्वारा दी गई सहमति

राज्यवाच असार्वत्र कार्यस्त्र अध्यापक

द्वारा छठवें वेतन अध्यापक द्वारा

दिनांक ०१.०१.२०१६ से स्थीतस्त्र

में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

में है कि गढ़ी प्रक्रिया विद्यमान

विभागों के वेतन निर्धारण

के समान सहायक अध्यापक पर

की गई वेतनमान की तालिका

निर्दित है। विद्यमान वेतनमान में

में क्रमोन्नति के विभिन्न स्वीकृति

की गढ़ी होगी। अनुक्रम

वेतन विभिन्न अध्यापक द्वारा वेतन

पर एवं सलाह द्वारा

की गई वेतन प्राप्त कर रहे

हैं वेतनमान में वेतन निर्धारण

में अनुक्रम में सलग परिशिष्टों में

छठवें वेतनमान अतागत विभागीय

विभाग द्वारा दिया गया है।

क्रमांक-३ में अध्यापक सदर्भि के लिये

दिनांक ०१.०१.२०१६ से परिवर्ति

नाम-१३६४/१७४४/१७/पित्त

में अनुक्रम गंजारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
लग्न आदेशानुसार

(डॉ. मसूद अख्तर)

आपर सचिव

मध्यप्रदेश राजसभा

पर्यायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

/ २१ /

७०

पृष्ठांकन क्रमांक—एक—१—३१/२०१३/२२/प-२

दिनांक २३/८/२०१७

प्रतिलिपि—

१. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव राजभरण, भोपाल।
२. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
३. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन।
४. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
५. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख राज्यव्यवस्था, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/वित्त/नगरीय प्रशासन विभाग/आदिस जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भवानीय वल्लभ भवन, भोपाल।
६. महालेखाकार, मध्यप्रदेश भोपाल/वातियरूप।
७. आयुपत्र कोष एवं लखनी मध्यप्रदेश भोपाल।
८. आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
९. आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
१०. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
११. सचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
१२. सचालक, संघानीय निति संबोधन संगठन भोपाल की ओर सूचना।
१३. समस्त सभागायुक्त मध्यप्रदेश।
१४. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश। →
१५. समस्त संभागीय संयुक्त सचालक कानून एवं लैला।
१६. समस्त संभागीय संयुक्त सचालक, लोक शिक्षण विभाग।
१७. नगरीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला/जनपद पंगड़ी भवन मध्यप्रदेश।
१८. समस्त ज़िला शिक्षा अधिकारी/संघालक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
१९. समस्त कोषालीय अधिकारी मध्यप्रदेश।
२०. समस्त संभागीय संयुक्त सचालक, पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभाग।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पायायत एवं आमीण चिलास विभाग

48

102

70

- परिशिष्ट - क

अध्यापक संबंध को स्वीकृत एवं वेतनमान में क्रमोन्तर / प्रदोन्त अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

सहायक अध्यापक

क्रमोन्तर/प्रदोन्त वेतनमान (4500-25000+1650) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवां वेतन वेतन दैड में विद्यमान वेतन	जुलाई-34800+3200)	संबंध वेतन	योग
प्रारम्भ	9300	3200	12500	
1 वर्ष	9580	3200	12780	
2 वर्ष	9860	3200	13060	
3 वर्ष	10140	3200	13340	
4 वर्ष	10420	3200	13620	
5 वर्ष	10700	3200	13900	
6 वर्ष	10980	3200	14180	
7 वर्ष	11260	3200	14460	
8 वर्ष	11540	3200	14740	
9 वर्ष	11820	3200	15020	

27600

अपर सचिव

संघापदेश शासन

विकास एवं आवास विभाग

(49)

(102)

परिशिष्ठ - ख

अध्यापक संघर्ष को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत/ पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

अध्यापक

क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान (1500+25000+3600) में संयोग अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवें वेतनमान (9300+34000+3600)	संघर्ष वेतन	योग
प्रारंभ	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संघर्ष वेतन	योग
1 वर्ष	10230	3600	13830
2 वर्ष	10560	3600	14160
3 वर्ष	10890	3600	14490
4 वर्ष	11210	3600	14810
5 वर्ष	11540	3600	15140
6 वर्ष	11860	3600	15460
7 वर्ष	12190	3600	15790
8 वर्ष	12510	3600	16110
9 वर्ष	12840	3600	16440
	13160	3600	16760

अपर संघर्ष

मध्यप्रदेश शासन

कांगड़ विकास एवं उपलब्ध लिम्बग

(50)

(104)

अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत / पदोन्नत अध्यापकों के वेतन
वरिष्ठ अध्यापक

निर्धारण हेतु लालिकाएँ

३८ ७३

प्रमोन्नत / पदोन्नत वेतनमान (4500+2500+2150) में सेवा अवधि (पूर्ण तरफ से)	छठवां क्रमोन्नत वेतनमान (3300+3400+4200)		
	वेतन दैड में विद्यामान वेतन	संवर्ग वेतन	गोप
प्रारम्भ	12090.00	4200.00	16290.00
1 वर्ष	12470.00	4200.00	16670.00
2 वर्ष	12840.00	4200.00	17040.00
3 वर्ष	13210.00	4200.00	17410.00
4 वर्ष	13580.00	4200.00	17780.00
5 वर्ष	13950.00	4200.00	18150.00
6 वर्ष	14330.00	4200.00	18530.00
7 वर्ष	14700.00	4200.00	18909.00
8 वर्ष	15070.00	4200.00	19270.00
9 वर्ष	15440.00	4200.00	19640.00

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, मोपाल

कमांक एफ 1-31/2013/22/प-२

मोपाल, दिनांक 29.12.2017.

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 2. समस्त संभागीय संयुक्त सचिवालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
 3. समस्त संभागीय संयुक्त सचिवालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
 4. समस्त संभागीय संयुक्त सचिवालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
 5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
 7. समस्त कौशालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :- अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत रूपे वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण।

-00-

अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति वेतनमान में स्वीकृत 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-31 /2013/22/प-2 दिनांक 22.08.2017 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कांडिका-2 में उल्लेखित है कि वेतन निर्धारण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 की 'कांडिका- 2(अ) के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्टों में विद्यमान वेतनमान अंतर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख छठवें वेतनमान अंतर्गत दर्शाये गये प्रक्रम पर किया जायेगा।' कतिपय कार्यालयों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया था कि अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति प्राप्त अध्यापकों के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना किस दिनांक से की जानी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि क्रमोन्नति/पदोन्नति के प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 07.07.2017 की कांडिका- 2(अ) अनुसार वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से की जायेगी तथा तदनुसार पूर्ण वर्षों के आधार पर सम्मुख प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

2. अध्यापक संवर्ग के 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं 22.08.2017 के धनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के वेतन निर्धारण के उदाहरण सलग्न परिशिष्ट-‘१’ से परिशिष्ट-‘४’ पर अंकित है।

52

106

11211

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शी उदाहरण वित्त विभाग द्वारा यूओनोट क्रमांक 2071/1382/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 5.12.2017- द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किए गए हैं।

संलग्न- परिशिष्ट-1 से 4

26/26
(एस.आर.चौधरी)

उप सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 29.12.2017.

पृष्ठा क्रमांक एफ 1-31/2013/22/प.-2

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजमंत्री, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ़ ऑफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, चल्लम भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/गवालियर।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
11. सचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
12. सचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ समस्त संगायुक्त, मध्यप्रदेश।

26/26 29.12.2017
उप सचिव

म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सहायक अध्यापक (वेतनमान- 5200-20200+2400)

परिशिष्ट-एक

१०६

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संघर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कांडिका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	5200-20200+2400
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 1 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	8930+2400=11330
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

सहायक अध्यापक (क्रमोन्तर/पदोन्तर वेतनमान- 9300-34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संघर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्तरि अथवा पदोन्तरि दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संघर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कांडिका-2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कांडिका- 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3200
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट- 'क' की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	11540+3200=14740
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

२५८३

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट—दो

अध्यापक (वेतनमान— 9300—34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि. 07.07.2017 की कंडिका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300—34800+3200
6.	दि. 01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 2 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के समुख)	11540+3200=14740
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

अध्यापक (क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान— 9300—34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि. 22.08.2017 की कंडिका-2 सहपठित आदेश दि. 07.07.17 की कंडिका- 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300—34800+3600
7.	दि. 01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट - 2 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के समुख)	12840+3600=16440
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016


 उच्च सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 पंचायत एवं ग्रामीण विभाग

परिशिष्ट-तीन

78

वरिष्ठ अध्यापक (वेतनमान 9300-34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संघर्ष में वरिष्ठ अध्यापक के प्रद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि. 07.07.2017 की कड़िका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3600
6.	दि. 01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 3 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख	12840+3600=16440
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

वरिष्ठ अध्यापक (क्रमोन्त वेतनमान 9300-34800+4200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संघर्ष में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्ति का दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संघर्ष में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि. 22.08.2017 की कड़िका-2 सहपठित आदेश दि. 07.07.17 की कड़िका- 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+4200
7.	दि. 01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट - 3 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख	15070+4200=19270
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

26.26

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट-चार

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 का संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर होने पर वेतन
निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.10.2011
2.	सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.10.2014
3.	सहायक अध्यापक पद का वेतनमान	5200-20200+2400
4.	नियुक्ति दिनांक 01.10.2014 से 31.12.2015 तक कुल सेवा अवधि	एक वर्ष दो माह अर्थात् सेवावधि-01 पूर्ण वर्ष
5.	दिनांक 01.01.2016 को वेतन प्रक्रम	7630+2400=10030
6.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 का संविलियन अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.04.2012
2.	अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.04.2015
3.	अध्यापक पद का वेतनमान	9300-34800+3200
4.	दिनांक 01.01.2016 की रिस्थिति में वेतन	9300+3200=12500
5.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 का संविलियन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होने पर वेतन
निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.07.2013
2.	वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.07.2016
3.	वरिष्ठ अध्यापक पद का वेतनमान	9300-34800+3600
4.	नियुक्ति दिनांक 01.07.2016 / 31.07.2016 की रिस्थिति में वेतन	10230+3600=13830
5.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2017

2526
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
मध्य प्रदेश स्कूल रिक्ता विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन भोपाल

(57)

अ

क्रमांक एफ 1-55/09/20-1
प्रतीक्षा

मुख्यमंत्री का दिनांक 13-10-2009

1. संस्कृत कलेज
2. संस्कृत आयुर्वेद, नगर विधान
3. संस्कृत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विद्या उच्चालय / संस्कृत विद्यालय
4. संस्कृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर उच्चालय
5. संस्कृत विद्या विद्यालय अधिकारी / सहायक अधिकारी, उच्चालय विद्यालय

नियम—यीन कार्डधारक विद्याकर्मियों/अध्यापक संघर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्थोकृत किये जाने दाबत।

-00-

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1, दिनांक 16.06.2006 द्वारा ग्रीनकार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्थोकृत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किय गए हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविरोधन एवं संविदा शाला विद्यालयों की नियुक्ति से अध्यापक संघर्ग का गठन किया गया है। शाज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्थोकृत किये जाने के संबंध में निमानुसार कार्यवाही की जाए—

1. शिक्षकर्मी/अध्यापक संघर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुये परिवार नियोजन के लिये आपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संघर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्ति परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरान्त परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन करवाने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

शेष निर्देश विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 16.06.06 में उल्लेखित अनुसार यथावत लागू रहेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके घूँओ० क्रमांक 1863/प.क.प्र./चार, दिनांक 12.10.2009 द्वारा सहनिति प्रदान की गई है।

(एस०एन०शमी)

चप सचिव

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री का दिनांक 13-10-2009

पृष्ठ क्रमांक एफ 1-55/09/20-1

प्राप्तिक्रिया—

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी, मप्रशासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मप्रशासन, वित्त/परायन एवं प्रानीन विभाग, मप्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय भोपाल
3. आयुर्वेद, लोक शिक्षण/राज्य विद्या केन्द्र भोपाल
4. आयुर्वेद, जनसमर्क विभाग, भोपाल
5. संस्कृत संनारीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री का दिनांक 13-10-2009
उप सचिव

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग

(10)

गण्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, गोपाल - 462004

५८

क्रमांक एफ १-१० / 2005 / 20-१

पर्ति

भेषाल दिनांक : ६ / ०६ / २००६

१. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
२. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
३. समस्त, आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.
४. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, म.प्र.
५. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.

विषय:- ग्रीन कर्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्थीकृत किये जाने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशारान विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी-३/९/२००१/१/३, दिनांक ०७.०६.२००१ के अनुसार शिक्षाकर्मियों का भी स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियां दिन शतों के अग्रिम स्थोकृत करने की सहमति प्रदान की जाती है:-

१. एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नि ही नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्थीकृत की जायेगी।
 २. दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्थीकृत की जायेगी।
 ३. जो शिक्षाकर्मी आदेश जारी होने के पश्चात् ग्रीन कर्ड प्राप्त करेंगे उन्हें ही अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा।
२. ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लगू होंगे।
२. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 1126/०६/नि./चार, दिनांक ०७.०६.०६ द्वारा गहलेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पलता सिंह)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-3350

संक्षेपिका

क्र.	रांगवित प्रश्न	उत्तर
1	शिक्षा गारंटी योजना क्या प्रारम्भ हुई।	फरवरी 1997 से
2	ई.जी.एस. खोलने का मापदण्ड	प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एक किमी की दायरे में न होने पर एवं 5 से 14 वर्ष के सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चे तथा आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 25 बच्चे होने पर ग्राम सभा के मांग पर।
3	गुरुजी के चयन का मापदण्ड	<ul style="list-style-type: none"> • गुरुजी की पहचान वही समृद्धि करता है। जिसने शाला खोलने की मांग की है। • गुरुजी स्थानीय व्यक्ति होगा। अर्थात् उसी दसाहट का जहाँ शिक्षा गारंटी शाला की मांग की गई है। उस दसाहट में निर्धारित योग्यता जा व्यक्ति न होने पर उस ग्राम/गाम पर्वायत से पहचान की जा सकती है। • गुरुजी के चयन में प्राथमिकता महिला को दी जायेगी। जहाँ एक से अधिक गुरुजी की आवश्यकता है। उनमें से एक अनिवार्य रूप से महिला होगी। • गुरुजी को स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ता नाम जायेगा। • गुरुजी की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता हाई सेकंडरी होगी। केवल महिलाओं के लिए न्युनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल तक की छूट दी जायेगी। • भी एड तथा वीएड उपाधि धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी। • ग्राम सभा एवं जिला ई.जी.एस. समिति के अनुमोदन उपरान्त पालक शिक्षक राध एवं गुरुजी के मध्य अनुबंध पश्चात।
4	गुरुजी का मानदण्ड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1997 - रु. 500/- प्रतिमाह • वर्ष 2001 - रु. 1000/-प्रतिमाह • वर्ष 2003 - रु. 2500/- प्रतिमाह (01.07.2001 से पूर्व अनुबंधित) • वर्ष 2003 - रु. 1000 - प्रतिमाह (01.07.2001 के पश्चात अनुबंधित) • वर्ष 2007 - रु. 2500/- प्रतिमाह (प्रौद्योगिक ई.जी.एस.) • वर्ष 2007 - रु. 1750/- प्रतिमाह (अप्रौद्योगिक ई.जी.एस.) • वर्ष 2008 - रु. 2500/- प्रतिमाह सभी को। • वर्ष 2012 - रु. 3600/- प्रतिमाह (20.09.12) तक को।

5	शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन	वर्ष 2001-02 - 22,659 प्रा.शा. में उन्नयन वर्ष 2004-05 - 3,868 प्रा.शा. में उन्नयन कुल - 26,527 ई.जी.एस. का प्रा.शा. में सन्तान
6	गुरुजी पात्रता परीक्षा किसके लिए आयोजित की गई।	बत्तमान में कार्यरत गुरुजी/पर्यवेक्षक तथा औप. शिक्षा केन्द्र के तत्कालीन अनुबोधक तथा पर्यवेक्षकों हेतु आयोजित की गई।
7	गुरुजी पात्रता परीक्षा कब-कदम आयोजित की गई।	प्रथम परीक्षा 31.08.2008 एवं द्वितीय परीक्षा 27.02.2011 को आयोजित की गई। नियम दर्ता 11 जरियाम 17.3.8 दिनी प्रदीपा प्रदीपा 22.10.11
8	गुरुजी पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थी ने भाग लिया।	गुरुजी पात्रता परीक्षा में कुल 41284 अभ्यर्थी ने भाग लिया।
9	कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।	प्रथम पात्रता परीक्षा 2008 में 14645 एवं द्वितीय पात्रता परीक्षा 2009 (आयोजित 2011) में 13530 उत्तीर्ण हुए।
10	कितने अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए।	13109 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए।
11	गुरुजी पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को अर्ह किस नियम के तहत किया गया।	मध्यप्रदेश प्रदायन (संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं रायिता की शर्तें) नियम 2005 के नियम 7 (क) के प्रावधन अनुसार किया गया।
12	वया शासन द्वारा संविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम 7 (क) के तहत कार्यपालिक आदेश किये गये हैं।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आर्द्धश क्रमांक एफ-44-56/2007/वीस-2 दिनांक 14.05.10 द्वारा संविदा शाला श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए राज्य शासन हारा निमानुसार प्रावधान किया गया है— 1. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में आरक्षित वर्ग (अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिंडम तथा निःशक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 30 प्रतिशत एवं अन्य के लिये 40 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। 2. क्रमांक 01 के अतिरिक्त सकल रूप से आरक्षित वर्ग (अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिंडम तथा निःशक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 40 प्रतिशत अंक एवं अन्य के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिये।
13	वया गुरुजी पात्रता परीक्षा 2009 संशोधित परीक्षा परिणाम हेतु कार्यपालिक आदेश जारी किये गये हैं।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग वर्ष पत्र क्रमांक एफ-44/03/2012 दिनांक 24.01.12 द्वारा पूर्व में जारी होने वाली द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा का परीक्षा परिणाम बो

અમદાવાદ - ૪૧૦ ૫૫૫ - ૩૩ | ૨૦૧૨ | ૨૦ - ૨

प्राप्ति दिनांक : 18-5-2012

卷之三

संग्रह सालेगांव

三

विषय - हिंसाएँ गुरुलडी पाकता प्रतीक्षा सेवाओंहैं। प्राचीन भारतीयों के रघुदंत शास्त्र विद्याका विषय ३ के पात्र वर्त विषयकी दिव्ये ज्ञान के बाबत है।

संकेत संग्रह विषय विषय का अन्दरांत्रियोक्त एवं २०१७/१८ के दिनांक २४.६.
- २०१२

प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली शहर के अधिकारी ने उसके अधिकारी को जल्दी से अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

• राजसन आदेश दिनांक 24.01.2012 के बहुमत अधिन में वैद्यक - एवं वैद्यी, वर्तमान समय
जीवनसामित्रों द्वारा शिक्षा संस्कृत के ग्रन्थालय एवं इनके तथा प्रबोधकालीन जिहावालय
अध्योगिति विभाग गुरुलोगो पाठ्यक्रम एवं इनके लिए द्वारा दोषायण प्रश्न उठ के प्रत्यक्ष रूप
आरम्भित एवं अनुसारान्वय जापित अनुच्छेदों विवरणाति अभ्यास विषयावाची एवं विषयावाची
व्याख्यातावाची लक्षणों के बारे 30 वर्षात्मक वैद्यक एवं वैदिक 49 प्रकारों विषयावाची एवं
प्राप्ति किए हुए तथा विषयावाची विषयावाची विषयावाची विषयावाची विषयावाची विषयावाची
प्रशिक्षण यामयोग्यता के बारे उपलब्ध वैद्यक एवं द्वारा दिखाके शिक्षक शिक्षक एवं विषयावाची
कामयोग्यता के बारे उपलब्ध विषयावाची

३. शासन के आदेश अनुसार निम्नलिखित दोषों के लिए विवरणीय विवरण दिया जाएगा।

३. शासन के आदेश अनुसार निम्नलिखित दोषों के लिए विवरणीय विवरण दिया जाएगा।

मानवरक्षणीय विवरणीय विवरण दिया जाएगा।

प्रतिक्रिया-३ के अनुसार उपर्युक्त दोषों के लिए विवरण दिया जाएगा।

जी यात्रा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार के प्रति अपनी संगति दिखा किया जाएगा। उत्तीर्ण स्वयं अपने अंदर आवेदन प्राप्त किए जाएं परन्तु जब उन्हें ले तथा शेष वचे अधिकारों पर्से अधिकार संभव नहीं होते। जाताओं के कार्यरत पुरुषों।

“यही गान्धी शालायो हेतु काव्यस्त पर्यवेक्षक।

उत्तरायणी वर्षावस्था
उत्तरायण के उत्तरायणी औत्तरायणी विषय -

विवरण अधिकारकालीन विवरण अधिकारकालीन

विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या

४ विद्यार्थिन् योग्यता प्रमाणः पत्र-उच्चात्मक
यथा १००% इन्हें योग्यता की जौँदः उच्चात्मक माना
परं तरीके योग्यता परीक्षा की अंक सूची की मूल प्रति न
पत्र एवं उसके पुष्टि तांत्रिक बोर्ड/कॉमिट्टी के कारण जारी

जाए नियुक्ति की अवधि रखना चाहिए जिसके दौरान वह अपने काम को पूर्ण कर सके।

४३ ज्ञाति प्रभाषण
ज्ञान विद्या के लिए ज्ञाति प्रभाषण
दृष्टि विद्या के लिए ज्ञान विद्या
है तो इसका लिए उत्तीर्ण विद्या
इस विकास सामान्य विद्या
पूर्या निश्चया विद्या
विद्या अविद्यारी अक्ष ज्ञान विद्या

परमार्थ गणे कोशलगंगा विद्यालयात शीलांकन योग्य
प्राचीन गिन्हुओ पर भाग्यवत्तु अप्पजो कोशलगंगा

मिजो का परीक्षण जिसे
अपेक्षित अध्यार्थियों ने कहा है
कि इसके द्वारा तीन भागी दे-
वता का स्वर्ग

卷之三

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

10-10-1961

ବିଜ୍ଞାନ-ପତ୍ର ପରିଚୟ ଅଧ୍ୟୟତ୍ନ

१५८ परम्परा विज्ञान संस्कृत

— ४८ —

1960-1961
1961-1962

Digitized by srujanika@gmail.com

बोहं परिकार्ये हो . त

—
—

जामिनी वापर की जीव

卷之三

प्रति दृष्टिया विवरणम् जाति

१० अप्रैल १९४८ बातें

卷之三

1000-10000 m.s⁻¹

1920-1921

卷之三

प्राचीन विद्या

1131

१६ वर्षीया का गोपनीय देश

(१) नियुक्ति आदेश / अधिकारी अनुबंध :- नियुक्ति आदेश को जल्दी ही लिखा रखें, शास्त्रीय रूप से नियुक्ति / प्राप्त पदाधिकार / जनपद पंचायत के साथ छिपा नहीं भारतीय/अनुबंध की तरह रखें एवं बिलासी बोर्ड । ०१.०१.१९९८ के बाद नियुक्ति तुलजिया के नाम की पुस्टि जिले के एक स्वतंत्रता संघ बैठक के कार्रवाई विवरण / बैठक के अलावा वह उसके उपरान्त नियुक्ति नियुक्ति / आदेश / स्वीकृति से भी की जाए।

२) रेप्युलियन/अनुरक्षण दिलाक - वर्तमान में कार्यस्थ होने वाले एवं उपलब्ध के घटनाकाल ५८-५७-२६, २००४ / २०-२ दिलाक १९.७.२००५ वा यूठे की अद्यता हो।

(३) भेदभावों - नियमित / अनुबन्ध की दिनांक से ले कि १५.८.२००५ के पूर्व तक वे जो वर्तमान तक निर्बन्ध नानदेव प्राप्त किया हो, ऐसे गुलजारी हो जावेदा शास्त्र विषयक अधी-३ में नियोजन वा पाए होंगे। जिथा यारेटी शालाओं में याकूब गुलजारी जा चक्कर आए हों तो पिछले दिन गए हैं कि सेवा निरन्तरता की पूर्ण लक्षणित विनाशकारी वायरल जिथा जिथा कब छान नानदेव गुलातान इन्हुंनी सार्वजनिक विवरणों एवं नानदेव वाहन वाहन संचय की जाती है।

(५) चारालयीन विद्याद :- मुख्यमंत्री को नियुक्ति जारी या चारालय न प्रदान होने का विवरण :- भारतीय चारालय के निष्पत्ति के बारे में ज्ञानापान,

(५) अनुशासनात्मक कार्यवाही :- अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डन होने पर निषेद्धि दो के जरूर। इसकी पुष्टि हेतु जिला परिषद् जिला समन्वयक तथा संबंधित जनपद परापत्र स्थानीय जिकाय के मुख्यकार्यपालन लघिकारण दोनों स्त्री तटाकुलाम प्रगण एवं प्राजा किया जाय।

(6) अन्य परिस्थितियाँ — उपरोक्त के आतिरक्त अती परिस्थितियों द्वारा ही नेप्तुन क्षेत्र इसके पानकर हस्तक्षण राज्य शिखाएँ ले सेपास मध्यरांदर्शन अनुसार किये जाएँ।

(v) शिला, मारुति शाला के पर्यवेक्षकों द्वात्

(1) नियुक्ति आदेश — नियुक्ति आदेश के अन्तर्गत नियुक्ति का

(2) नियुक्ति दिनांक :- शिला गार्डों शाला के समेत कलकत्ता प्रवेशण में अगले दो वर्ष जारी रखने के लिए उपलब्ध अवधि के लिए अनुमति दिया जाता था। अतः नियुक्ति की गुणिता कार्यालय (पर्याप्त जिला शिक्षा केन्द्र) ते अनुमति दिया जाता था। अतः नियुक्ति की गुणिता कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा उपलब्ध प्रति वर्ष के द्वारा जारी नियुक्ति वर्ष से जो जारी है। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

नियमित रूप से मानदेय प्राप्ति किया जाए। इसके अलावा उत्तीर्ण घोषणा के द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति भवति यह जाँच।

18

10

प्रतिकृति करने वाली उपकारिता परिस्थिति को जानना चाहिए।

शास्त्रीय शिक्षण के दृष्टिकोण में नियुक्त होने के अपराह्न शिक्षा यारटी शाला भी
अधिकारी व उपाधीन एवं सहायता के तत्कालिन औपचारिकलत्तर पिंडि केन्द्र के योग्यकक्ष
में आवश्यक यो शालान द्वारा निर्दर्शित चेता पारिश्रामिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक ते-
निया जापेगा प्रस्तु अध्ययक सदर्न न बुझि देतु संविदा शाला शिक्षल श्रीपी-३ के सम व
अध्ययक सदा फ़ड़खल की गणना करु एवं उपि व्यापम द्वारा परीभा परिणाम घापेत होने व्हे तिथि
दिनांक 22.10.2013 से मात्र की अवधि

१० प्रायोगिक उत्तमाओं (पूर्व दा जिन चर्टी शाला) में कार्यक्रम गुजराती व घर्याज एवं घट शालान व गिर्जालिन भौगोलिक विवरणों के पर्याप्तक व अनुदेशयों के निर्देश शाला जिन्हाँ श्रेणी-३ के सभ द्वे नियुक्ति तार्क्यन्त प्राचीन कार्यवाही उपरीक्षामुसार द्वा जाए।

(आगम इवनाती)
उपस्थित

नोपाल दिनांक 16-5-12

पृष्ठांक रुप ५५-१६ | २३२ वा. २०८४ | श्रावण स्कूल शिक्षा विभाग
प्रतिलिपि— नोपाल दिनांक १०-१०

- संघिव, सुखगमत्री, म.प्र. शासन
 - विशेष इत्तहादक ना। मंत्री जी, चूंच भंडी जी म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
 - प्रमुख स्वचिव, म.प्र. शासन नियंत्रण प्रशासन एवं विकास विभाग, मन्त्रालय भोपाल।
 - प्रमुख स्वचिव, म.प्र. शासन, पंचायत रद्द प्रान्तिक पिकास विभाग, मन्त्रालय, भोपाल।
 - प्रमुख स्वचिव, म.प्र. शासन, अधिकारी विकास विभाग, मन्त्रालय, भोपाल।
 - प्रमुख स्वचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मन्त्रालय, भोपाल।
 - आयुष, इनाक शिक्षण संबलपुर, भोपाल।
 - आयुष, आदिवासी विकास अभियान।
 - आयुष, आदिवासी शिक्षा बोर्ड, भोपाल।
 - संपर्क, संबलपुर शिक्षण प्रदेश।
 - संपर्क, संबलपुर शिक्षण प्रदेश।
 - संपर्क, संबलपुर काम्पालन बोर्ड, जिला अनन्दपुर, शिक्षण प्रदेश।
 - समस्त शिक्षागारी संस्थाक संबलपुर बोर्ड लोक शिक्षण प्रदेश।
 - संगति, संहायक आयुष, अधिकारी विकास शिक्षण प्रदेश।
 - संगति, बुजेला गाँधीजी शिक्षण जिला शिक्षा बोर्ड, भर्यप्रदेश।
 - <http://www.mpprmp.gov.in/curiculum/education.html> में

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ मवन भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ-44-6 / 2014 / 20-2 : राज्य शासन एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम-7 'क' में उपनियम-(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 को अधिसूचना अनुसार निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाए, अर्थात्:-

"(3) ऐसे गुरुजीं एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिए बिना, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नियोजित किए जा सकेंगे।

(4) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों का, जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन की तरीख से तीन वर्ष के भीतर डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।"

मध्यप्रदेश पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम-7 'क' में उप नियम-(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 के तहत कार्यवाही की जावे।

2. ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर, परीक्षा लिए बिना, नियोजन किये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश—म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-44-14/03/2012/20-2 दिनांक 18.05.12 के अनुसार नियोजन की कार्यवाही निम्नानुसार की जावे।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रः—उच्चतर माध्यमिक प्रमाण—पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जांच उच्चतर माध्यमिक प्रमाण—पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंकसूची की मूलप्रति से करें। डूप्लीकेट अंकसूची/प्रमाण—पत्र होने पर उसकी पुष्टि संबंधित बोर्ड/मण्डल से कराई जाये।

4. आयुः—नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षक की अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। जन्मतिथि के प्रमाण हेतु कक्षा 10वीं/11वीं जो भी बोर्ड परीक्षा रही हो, की मूल अंकसूची मान्य की जाये।

(अ) शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजियों हेतु:-

.....

(1) नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंधः— नियुक्ति आदेश या पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के साथ किये गये आदेश/अनुबंध की मूल प्रति से मिलान करें। 01.01.1998 के बाद नियुक्ति गुरुजियों के नाम की पुष्टि जिला ई.जी.एस. समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण/बैठक के आधार पर उसके उपरान्त जारी निर्देश/आदेश/स्वीकृति से भी की जाए।

(2) नियुक्ति/अनुबंध दिनांकः— वर्तमान में कार्यरत् ऐसे गुरुजी जो शासन के पत्र क्रमांक एफ-57-36/2004/20-2 दिनांक 19.07.2005 के पूर्व से नियुक्त हो।

(3) निरन्तरताः— नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 19.07.2005 के पूर्व की हो से वर्तमान तक नियमित मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरुजी ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन के पात्र होंगे। शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत् गुरुजी कि द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय के सत्यापन पत्रक से ही की जावे।

(4) न्यायालयीन विवादः—गुरुजी की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के अधीन रखी जाए।

(5) अनुशासनात्मक कार्यवाहीः—अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) अन्य परिस्थितियाँः—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उद्भूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

ब. शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षकों हेतुः—

(1.) नियुक्ति आदेशः—नियुक्ति आदेश की मूल प्रति से मिलान करें।

(2.) नियुक्ति दिनांकः—शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केन्द्र) से अनुमोदन दिया जाता था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद पंचायत के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जायेगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

(3.) निरन्तरताः—नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 31 दिसम्बर 2000 के पूर्व की हो, वर्तमान तक नियमित रूप से मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे पर्यवेक्षक ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक की सेवा निरन्तरता की पुष्टि

(3)

- संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु भासिक उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान के सत्यापन पत्रक से की जावे।
- (.) न्यायालयीन विवादः—पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की रिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाये।
- (5.) अनुशासनात्मक कार्यवाहीः—अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- (6.) अन्य परिस्थितियाँः—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उद्भूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

5. जिला स्तरीय छानबीन समिति:-

उक्त कार्य को संपादित करने के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कार्य करेगी—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष
 2. कलेक्टर का प्रतिनिधि — सदस्य
 3. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
 4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण — सदस्य
 5. प्राचार्य डाइट — सदस्य
 6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी — सदस्य
 7. जिले का ओआईसी — विशेष आमंत्रित सदस्य
 8. जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव
6. बिन्दु क्रमांक-3 में उल्लेखित छानबीन समिति द्वारा तैयार अनंतिम सूची, तैयार कर सूचना पटल पर चर्चा करना एवं अनंतिम सूची पर आपत्तियों आमंत्रित करना, तथा आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा। कलेक्टर से अंतिम सूची पर अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम सूची जारी की जाये।
7. जिला छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि “शासन आदेश की उपरोक्त कण्डकाओं में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रत्येक गुरुजी एवं पर्यवेक्षक का परीक्षण किया गया है, एवं अंतिम सूची शासन के मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है।” अंतिम सूची की एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाये। इस सूची पर जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। अनुमोदन उपरान्त अंतिम घयन सूची संबंधित जनपुक्त पञ्चायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विहित

प्रक्रिया एवं निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-३ के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध कराई जायें, जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की जाये।

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-३ के रूप में नियोजित होने के उपरान्त शिक्षा गारंटी शाला कार्यरत गुरुजी व पर्यवेक्षक को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान निषुक्ति दिनांक से किया जायेगा।

प्राथमिक शालाओं (पूर्व की शिक्षा गारंटी शालाएं) में वर्तमान में कार्यरत गुरुजी एवं पर्यवेक्षक के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-३ के रूप में नियोजन संबंधी कार्यवाह उपरोक्तानुसार की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(M.M.)
10.2.14

(के.के.द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ-४४-६ / 2014 / 20-२

तिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी / राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
14. रामस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(M.M.)
11.2.14.

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

४१
४२
४३

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशः

भोपाल, दिनांक ११/२/१४

क्रमांक एफ ४४-६/२०१४/२०-२: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक १०.२.२०१४ के अनुकम में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार अनुपूरक निर्देश जारी करता है:-

१. ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो म.प्र. शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-३ के रूप में नियोजित होने की तिथि से शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जायेगा।
२. अध्यापक संघर्ष में संविलयन किये जाने हेतु आवश्यक सेवाकाल की गणना विभागीय आदेश जारी दिनांक १०.२.१४ से की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कलावती उड़िके)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक ११/२/१४

पृ० ५० क्रमांक एफ ४४-६/२०१४/२०-२

प्रतिलिपि:-

१. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
२. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
३. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
४. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
५. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
६. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग भोपाल
७. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
८. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
९. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
१०. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश
११. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१२. आर्डर बुक

(अवर सचिव)

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुले

(72)

(123)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश :

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

एक 1-3/2017/20-1: विभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 10.02.2014, ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो तत्समय मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक 3 के पद पर परीक्षा लिए बिना नियोजित करने के संबंध में जारी किया गया। उक्त आदेश में यह भी लेख किया गया था कि उनके नियोजन की कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2012 के अनुसार किस प्रकार की जाए।

2/ दिभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 09.12.2014 ग्रामसंघगढ़ के अन्तर्गत उक्त दिनांक 10.02.2014 के अनुकान में जारी हिटा गया "ज्ञानवेद छात्र" उह रथष्ठ क्रमांक 3 को ही काल की गणना विभागीय आदेश जारी करने के दिनांक अर्थात् 10.02.2014 से की जाएगी।

3/ उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश क्रमांक एक 44-14/2012/20-2 दिनांक 18.05.2012 अहता परीक्षा में उत्तीर्ण गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है, जबकि विभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 10.02.2014 अहता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है।

4/ इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है कि अहता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों की वरीष्टता किसी भी स्थिति में दिनांक 10.02.2014 से पूर्व की तिथि से प्रदान नहीं की जा सकती और साकि विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित किया गया है। अतः अहता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजियों एवं पर्यवेक्षकों की वरीष्टता विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित अनुसार दिनांक 10.02.2014 से मान्य की जावे।

उपर्युक्तानुसार स्पष्टीकरण से भिन्न स्थिति मान्य करते हुए यदि किन्हीं अधीनस्थ कार्यालय निरस्त किया जाए। इस संबंध में कार्यवाही न करने की स्थिति में संबंधित त्रुटिकर्ता अधिकारी की जबाबदारी नियत की जाकर उनसे आवश्यक वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Om Prakash Singh
(के.के.द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 27/09/2018

पृ.क्र. एक 1-3/2017/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री / राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल। कि
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / विधि प्रकोष्ठ, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक. म.प्र.।
7. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Om Prakash Singh
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

AS.

27-09-18